Jan
2024

मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

ख़तरे की बात

“बड़े ख़तरे की बात है कि मुल्क के क़ानून की बुनियाद जिन उसूलों पर रखी गई थी आज उन उसूलों को पामाल किये जाने की कोशिशें हो रही हैं और अन्दर से मुल्क की बुनियादें खोखली की जा रही हैं। यह इन्तिहाई फ़िक्र की बात है कि आज मुल्क का क़ानून ख़तरे में है। वह क़ानून जिसने मुल्क को जम्हूरी (लोकतान्त्रिक) क़रार दिया, आज यह कोशिश की जा रही है कि ख़ास तबक़े की उस पर इजारादारी क़ायम की जाए। वह क़ानून जिसमें इस मुल्क में रहने वाले मुख़्तलिफ़ मज़हबों के लोग और मुख़्तलिफ़ ज़ातों के जो हुक़ूक़ दिये गये उनको पामाल करने की कोशिशें जारी हैं , इसी के लिए क़ानून में तब्दीली की मुख़्तलिफ़ शक्लें अख़्तियार की जा रही हैं।” (इदारिया)

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल नदवी
दारे अरफ़ात, तकिया कलां, रायबरेली

जम्हूरी निज़ाम की बुराइयां

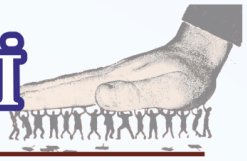

"सर विन्स्टन चर्चिल ने एक ख़ास मौक़े पर कहा था कि जम्हूरियत (लोकतन्त्र) एक बुरा निज़ाम है, लेकिन दूसरे हुकूमत के निज़ाम उससे भी बदतर हैं। मिस्टर चर्चिल ने इस ख़्याल का इज़हार उस वक़्त किया था जब जम्हूरी निज़ाम चन्द ही मुल्कों में राएज था, अक्सर मुल्क गुलाम थे, बहुत से मुल्कों में शाही हुकूमतों का रिवाज था। जिन मुल्कों में यह निज़ाम राएज था उन मुल्कों के बाशिन्दे किसी न किसी हद तक तालीम याफ़्ता और इन्तिख़ाबात (चुनाव) की अहमियत, इफ़ादियत (महत्व) और ज़रूरत से वाक़िफ़ थे और सियासी ज़िन्दगी आज की तरह आलूदा न थी, फिर भी जम्हूरियत में कुछ न कुछ ऐब ज़ाहिर हो गए थे। मिस्टर चर्चिल ने ऊपर कही गई बात उस निज़ाम के हाकिमों की अवाम (जनता) के सामने ज़िम्मेदारी, अवाम के मुतालिबात (मांगों) और एहतिजाजात (विरोध) के मुताबिक़ जम्हूरी हुकूमत के तर्ज़े हुक्मरानी और मेम्बरान के अद्मे तआउन से मुन्तख़बह (चुनी हुई) हुकूमत के ख़तरा–ए–सुकूत को मलहूज़ रखते हुए कही होगी। ग़ैर जम्हूरी तर्ज़े हुक्मरानी के सिलसिले में उनकी राय का ग़ालिबन मतलब यह हो कि क़ौम को ग़ैर जम्हूरी निज़ामों में अवामी नुमाइन्दगी का मौक़ा नहीं मिलता और इस तरह जुल्म व इस्तबदाद, क़हर व ग़ज़ब और इक़्तिदार पर बहुत से ख़ास लोग या ख़ानदान या जमाअत के ग़लबे का ज़्यादा इमकान (संभावना) रहता है।

मिस्टर चर्चिल को जम्हूरी निज़ाम के फलने–फूलने और रिवाजे आम का ज़माना नहीं मिला कि वह उसको तरक़्क़ी याफ़्ता शक्ल में देखते, वरना उनका नज़रिया जम्हूरी निज़ाम के बारे में मुख़्तलिफ़ होता और वह यह कहने पर मजबूर होते कि यह जम्हूरी निज़ाम तमाम हुकूमती निज़ामों से ज़्यादा नाक़िस और नापसंदीदा है और यह बात वाक़्या के ख़िलाफ़ न होती, बल्कि हक़ीक़त का आईनादार होती, क्योंकि जम्हूरियत आज अक्सर मुल्कों में नाकाम हो चुकी है और इसमें ऐसी ख़राबियां पैदा हो गई हैं जिनसे उसके अच्छे मक़ासिद मतरूक ओर उसके अग़राज़ और उसके ग़लत तरीक़ा–ए–कार से बिगाड़ का शिकार हो गए हैं। आज की जम्हूरियत फ़साद व बिगाड़, बदअमनी और अनारकी और लाक़ानूनियत की आमाजगाह बन चुकी है। इस निज़ाम की कमज़ोरियां और उसके मुज़िर असरात का एहसास ऐशियाई मुल्कों में ही नहीं बल्कि मग़्रिबी मुल्कों में भी पाया जा रहा है। एक बर्तानवी जम्हूरी फ़िक्र के फ़लसफ़ी ने इज़हारे ख़्याल किया है कि जम्हूरी निज़ाम अपने तमाम मुक़र्ररह अग़राज़ व मक़ासिद के हुसूल में कुल्ली तौर पर नाकाम साबित हो चुका है। मौजूदा दौर में जम्हूरियत, इन्तिशार, ख़ुदग़र्ज़ी और मफ़ादपरस्ती की आमाजगाह है। दरहक़ीक़त जम्हूरियत ही जम्हूरी मोमालिक में फ़साद, अनारकी, लाक़ानूनियत, दहशतगर्दी और इस तरह की तमाम बुराइयों और ख़राबियों की ज़िम्मेदार है। यह एक हक़ीक़त है कि जम्हूरियत मुश्किलात के हल से ज़्यादा मुश्किलात को जन्म देती है, क्योंकि जम्हूरियत सिर्फ़ हुक़ूक़ के हुसूल पर उभारती और बराअंगेख़्ता करती है और इसमें मुनासिब और नामुनासिब के दरमियान कोई तमीज़ नहीं करती है।"

हज़रत मौलाना सैय्यद वाज़ेह रशीद हसनी नदवी (रह०)

(नया आलमी निज़ाम और हम: 62–63)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

अंक:01 जनवरी 2024 ई0 वर्ष:16

सम्पादक

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

सम्पादकीय मण्डल

मुफ्ती राशिद हुसैन नदवी

अब्दुस्सुबहान नारवुदा नदवी

सह सम्पादक

मो० नफ़ीस ख़ॉ नदवी

मुद्रक

मो० हसन नदवी

अनुवादक

मोहम्मद सैफ़

बदतरीन हुक्मरां

अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया:

"तुम्हारे दरमियान बदतरीन इमाम (हुक्मरां) वह है जिनसे तुम बुग़्ज़ रखो और वह तुमसे बुग़्ज़ रखें और तुम उन पर लानत करो और वह तुम पर लानत करें"

(सही मुस्लिम: 4805)

E-Mail: markazulimam@gmail.com www.abulhasanalinadwi.org

मर्कजुल इमाम अबिल हसन अल-नदवी दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली,यू0पी0.229001

प्रति अंक 15रू

मो० हसन नदवी ने एस० ए० आफसेट प्रिन्टर्स, मस्जिद के पीछे, फाटक अब्दुल्ला ख़ॉ, सब्ज़ी मण्डी, स्टेशन रोड रायबरेली से छपवाकर आफिस अरफ़ात किरण,मर्कजुल इमाम अबिल हसन अल-नदवी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

वार्षिक 100रू0

Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi Samiti (Punjab National Bank) A/c No. 6127002100000339 (IFSC: PUNB0612700)

जिसके जुलू में जहद-ओ-अमल की तड़प न हो

जनाब आमिर उस्मानी (रह0)

जिसने बुतों से हुक्मे बग़ावत दिया नहीं
होगा ख़ुदा किसी का, मेरा ख़ुदा नहीं

मैं क्या कहूं कि इश्क़ की क़ुदरत में क्या नहीं
लेकिन सरों में आज यह सौदा रहा नहीं

हम ही वफ़ा के अहद पर क़ायम न रह सके
अपने सिवा हमें तो किसी का गिला नहीं

सदियां हुईं कि आई थी गुलशन में फ़स्ले गुल
लेकिन दिलों से उसका तसव्वुर गया नहीं

इन्सां को जो सुकूने दिले जां न दे सके
वह इरतिक़ा किसी भी मर्ज़ की दवा नहीं

लज़्ज़त फ़रेश व रूह शिकन अश्रे नौ के पास
सबकुछ तो है मगर दिले दर्दे आशना नहीं

जिसके जुलू में जहद-ओ-अमल की तड़प न हो
वह सिर्फ़ एक फ़रेबे दुआ है दुआ नहीं

मेम्बर से लेकर मदरसा व ख़ानक़ाह तक
आमिर कहां हुजूम नुमूदे विरया नहीं

इस अंक में:

यौम-ए-जम्हूरिया का पैग़ाम.....3

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

जम्हूरी मुल्क की अवाम से साफ़-साफ़ बातें.....4

हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह0)

जम्हूरी मुल्क में मुसलमानों के लिए लाहया-ए-अमल.....5

हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

मदद का इस्तहक़ाक़ क्योंकर?.....7

मौलाना जाफ़र मसऊद हसनी नदवी

तक़वा क्या है?.....9

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

निकाह के चन्द मसाएल 11

मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

ग़ैबी निज़ाम और इन्सानी तदाबीर.....13

अब्दुस्सुब्हान नाख़ुदा नदवी

लोकतन्त्र और भारतीय संविधान.....15

सैय्यद मुहम्मद मक्की हसनी नदवी

जनाब सैय्यद कुतुबुद्दीन मदनी का वफ़ात.....17

मौलाना सैय्यद ज़ाहिर हुसैनी नदवी

गुलू और इन्तिहा पंसदी.....18

मुहम्मद अमीन हसनी नदवी

भारतीय लोकतन्त्र के बुनियादी स्तंभ-एक विश्लेषण.....19

मुहम्मद अरमुग़ान बदायूंनी नदवी

यौम-ए-जम्हूरिया का पैग़ाम

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

26 जनवरी का दिन हिन्दुस्तान में ख़ासतौर पर क़ानून की बालादस्ती का दिन होता है, इसी तारीख़ से नए जम्हूरी क़ानून का निफ़ाज़ हुआ, इस क़ानून की बड़ी ख़ूबी यह है कि इसमें इस मुल्क के हर शहरी को इसका हक़ दिया गया है। यह मुल्क सदियों से मुख़्तलिफ़ मज़ाहिब और तहज़ीबों का मरकज़ रहा है, दुनिया की मुख़्तलिफ़ क़ौमें यहां आकर आबाद हुईं, मुख़्तलिफ़ मज़हबों और तहज़ीबों ने इसको अपना गहवारा बनाया, यही वजह है कि इसके क़ानून की बुनियाद सेक्यूलरिज़्म पर रखी गई, इसके तीन बुनियादी सुतून कहे जा सकते हैंः सेक्यूलरिज़्म, नॉनवाइलेंस और डेमोक्रेसी।

26 जनवरी का दिन ख़ास तौर पर इसलिए यौमे जम्हूरिया कहलाता है, इस दिन पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाता है, आपसी मेल–मिलाप और अमन–आशिती का इज़हार किया जाता है, मुल्क का हर छोटा–बड़ा शहरी इस ख़ुशी में शरीक होता है। यह सारी ख़ुशी इसलिए है कि इस क़ानून में हर तबक़े का एहतिराम है, हर मज़हब व तहज़ीब के मानने वालों को उनके हुक़ूक़ दिये गए हैं, इस क़ानून के तईं यहां का रहने वाला अपनेआप को महफ़ूज़ तसव्वुर करता है, किसी भी नस्ल का इन्सान हो वह इस क़ानून में अपनेआप को अलग महसूस नहीं करता और यह भी शायद हक़ीक़त है कि इस वक़्त दुनिया का सबसे बड़ा जम्हूरी मुल्क है, वरना बहुत से दूसरे मोमालिक जो जम्हूरियत का दावा करते हैं वह हक़ीक़ी माने में जम्हूरी कहलाने के मुस्तहिक़ नहीं हैं।

अमरीका जो अपनेआप को जम्हूरियत का अलमबरदार बताता है, ख़ुद उसने नस्ली और मज़हबी फ़िरक़ावारियत पर मुब्नी बाज़ ऐसे क़ानून बना दिये हैं कि उनसे उसकी जम्हूरियत में दरार पड़ गई है, सामी नस्ल को मुस्तक़िल अलग मक़ाम दे दिया गया है और उस पर तनक़ीद करना क़ानूनन जुर्म क़रार दे दिया गया है और फिर इसमें भी मज़ीद तंगी पैदा करके इस नस्ल के भी मख़्सूस लोगों के लिए इस क़ानून का इतलाक़ किया जाता है।

हमारे मुल्क के लिए यह फ़ख़्र की बात है कि यहां जम्हूरियत बाक़ी है और यह दिन ख़ास तौर पर इसको याद दिलाता है, लेकिन बड़े ख़तरे की बात है कि मुल्क के क़ानून की बुनियाद जिन उसूलों पर रखी गई थी आज उन उसूलों को पामाल किए जाने की कोशिशें हो रही हैं और अन्दर से मुल्क की बुनियादें खोखली की जा रही हैं। यह इन्तिहाई फ़िक्र की बात है कि आज मुल्क का क़ानून ख़तरे में है। वह क़ानून जिसने मुल्क को जम्हूरी क़रार दिया, आज यह कोशिश की जा रही है कि ख़ास तबक़े की उस पर इजारादारी क़ायम की जाए, वह क़ानून जिसमें इस मुल्क के रहने वाले मुख़्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों और मुख़्तलिफ़ जातों के जो हुक़ूक़ दिए गए हैं उनको पामाल करने की कोशिशें जारी हैं, इसी के लिए क़ानून में तब्दीली की मुख़्तलिफ़ शक्लें अख़्तियार की जा रही हैं।

मुल्क के लिए यह बात बहुत तश्वीश की है, यहां के क़ायदीन ने मुल्क के मिज़ाज और पूरी सूरतेहाल को सामने रखकर क़ानून बनाए थे, उनकी पासदारी मुल्क के हर शहरी की ज़िम्मेदारी है, उसको पामाल करने वाले हरगिज़ मुल्क के वफ़ादार नहीं हो सकते, यहां के वह लोग जो अपनेआप को मुल्क का सबसे बड़ा वफ़ादार तसव्वुर करते हैं, मुल्क को फ़िरक़ावारियत की आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं, यहां के क़ानून में हरएक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और अपने–अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी दी गई है, किसी की दिल आज़ारी यहां क़ानूनन जुर्म है, बिलाशुब्हा हर एक को आज़ादी दी गई है लेकिन इसके कुछ हुदूद भी हैं, यह आज़ादी उसी हद तक है जब तक दूसरे की दिलआज़ारी न हो।

मुल्क के क़ायदीन को ग़ौर करने की ज़रूरत है, एक मिसाल पेश की गई, दसियों वाक़्यात मुल्क के तूल व अर्ज़ में ऐसे सामने आ रहे हैं जिनसे मुल्क की शबीह दाग़दार हो रही है, अगर यहां के शहरियों को ख़ानों में बांटा गया तो यह मुल्क के लिए ख़तरे की बात है, फिर मुल्क की सलाहियतें बाहमी टकराव में ज़ाया होंगी, ज़ाती और जमाअती मफ़ाद से बुलन्द होकर सोचने की ज़रूरत है ताकि मुल्क फले और फूले और यहां के रहने वाले अमन व इत्मिनान के साथ ज़िन्दगी गुज़ार सकें, यहां का क़ानून यही सबक़ देता है और यही यौमे जम्हूरिया का पैग़ाम है।

जम्हूरी मुल्क में मिल्ली पहचान की हिफ़ाज़तः

हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जिसमें अक्सरियत ग़ैर मुस्लिमों की है, वह जम्हूरी मुल्क है और वहां क़ानून साज़ मजलिसें क़ानून बनाती हैं। जब यह मुल्क जम्हूरी है तो पार्ल्यामेंट ही क़ानून बनाएगी और जम्हूरियत का यह क़ायदा है कि अक्सरियत की राय और ताईद से क़ानून बनता है, इसलिए हर वक़्त इसका ख़तरा है कि ऐसे क़ानून बनें जो हमारे बुनियादी अक़ाएद, मुसल्लमात, हमारे जज़्बात और हमारी ज़रूरतों के ख़िलाफ़ (बदनियती से कम और नावाक़िफ़ियत से ज़्यादा) बनें। यह भी फ़रामोश नहीं करना चाहिए कि वहां मज़हबी, तहज़ीबी और लिसानी बुनियादों पर जारिहाना एहयाईयत और कुल्लियत पसंदी की तहरीकें भी ज़ोर–शोर से चल रही हैं।

अब हमारा काम यह है कि ऐसे सेक्यूलर और जम्हूरी मुल्क में अपनी मिल्ली पहचान की हिफ़ाज़त आईनी तरीक़े पर करें। हम हिन्दुस्तान के वफ़ादार, मुफ़ीद, कारामद और उसके ज़रूरी जुज़ होने की हैसियत से अपनी ईफ़ादियत और अहमियत साबित करें और मुतालबा करें कि कोई क़ानून हमारी शरीअत, आसमानी किताब और हमारे अक़ाएद के ख़िलाफ़ नहीं बनना चाहिए। इसी के साथ यह भी साबित करें कि ख़िलाफ़े शरीअत क़ानून बनने से हमको इससे ज़्यादा अज़ीयत होती है और हमारा मिल्ली वजूद इससे ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाता है जितना खाना रुकने से। कोई जम्हूरी हुकूमत किसी अक़्लियत और किसी फ़िरक़े की ग़िज़ाई ज़रूरत को नहीं रोक सकती। कोई हुकूमत चाहे कितनी ही ताक़तवर हो, यह क़ानून नहीं बना सकती कि फ़लां फ़िरक़े को ग़ल्ला की फ़राहमी रोक दी जाए, या बाज़ार में उसको दुकान खोलने की इजाज़त न दी जाए, या उसके बच्चों पर तालीम या तालीम गाहों के दरवाज़े बन्द कर दिये जाएं। ऐसा अगर होने लगे तो लोग क़यामत बरपा कर सकते हैं। हम साबित कर दें कि इस क़ानून और इस नए निज़ामे तालीम से हमको ऐसी ही घुटन हो रही है जैसे मछली को पानी से निकालकर बाहर रखने से होती है। हमारे चेहरों के उतार–चढ़ाव, हरकात व सकनात से मालूम हो जाए कि हमारी सेहत व तवानाई और कारकरदगी पर असर पड़ा रहा है और यह महसूस कर लिया जाए कि यह एक मग़मूम क़ौम के अफ़राद हैं, इस नए क़ानून से उनका दम घुट रहा है और यह उनकी आइन्दा नस्ल के क़त्ल के मुरादिफ़ है।

हक़ीक़त में एक जम्हूरी मुल्क में जो अक्सरियत के ज़रिये (जिसके जज़्बात, ख़्वाहिशात और मक़ासिद बदलते रहते हैं) आईन साज़ी का दायमी व कुल्ली हक़ रखता है, किसी फ़िरक़े व अक़्लियत को (जो अपना मुस्तक़िल दीन, आइली क़ानून और मिल्ली पहचान रखती है और वह उसको अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ है) किसी वक़्त भी मुतमईन होकर बैठने वाला और हालात व हक़ाएक़ से आंखे बन्द कर लेने की गुंजाइश नहीं। (कारवाने ज़िन्दगीः 3/155–157)

सुल्तानी जम्हूर में सियासी शऊर की ज़रुरतः

आज सुल्तानी जम्हूर का ज़माना है, हमारे ऊपर पार्ल्यामेंट की हुकूमत है और उसको आईन साज़ी का अख़्तियार, फिर हुकूमत का दायरा पहले की तरह दिफ़ाअ, अमन क़ायम करने और टैक्स वसूल करने तक महदूद नहीं, वह ज़िन्दगी के तमाम शोबों और तालीम व तरबियत के तमाम ज़राए पर हावी है और घर और बाहर की कोई चीज़ उसके दाएरे अख़्तियार से ख़ारिज नहीं। रात पार्ल्यामेंट में एक क़ानून पास हो जाता है और आज सारे मुल्क में इसका निफ़ाज़, इस वक़्त हम और आप यहां जमा हैं, मुमकिन है कि इस वक़्त पार्ल्यामेंट का कोई इजलास हो रहा हो, वहां एक क़ानून बन जाए और हमारी ज़िन्दगी में एक अहम तब्दीली वाक़ेअ हो। आपको मालूम है कि पुरानी हुकूमतें प्राईवेट मामलात में दख़ल नहीं देती थी, ज़ाति मिल्कियतों से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, आज़ाद दर्सगाहों से उनका कोई सरोकार नहीं था, आप जिसे पर्सनल लॉ कहते हैं यानि शादी, ब्याह और तिरके वग़ैरह का क़ानून, इससे उनको कोई इलाक़ा नहीं था, तालीम के किसी ख़ास अक़ीदे, किसी ख़ास फ़िक्र व मक़सद पर उनको इसरार न था। अब दुनिया बदल चुकी है, आपको यह समझना चाहिए कि आप किस जगह बैठे हैं, ज़माने के इन्क़िलाब ने आपको इस जगह पर अचानक ला खड़ा किया है? अगर आपने अपने आस–पास की दुनिया का जाएज़ा न लिया तो आप इस दुनिया से खुद बेगाना हो जाएंगे। (खुलासा अज़ः मुसलमानाने हिन्द से साफ़–साफ़ बातें: 33–46)

मुसलमानों के लिए लाहया-ए-अमल

हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

मुसलमान इस मुल्क में कई सदियों से आबाद हैं और यहां उन्हें बड़े मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ा है, बल्कि कई बार ऐसे हालात भी पेश आए मालूम होता था कि अब मुसलमान यहां न रह सकेंगे और यहां से चले जाएंगे। बहुत से इलाकों में तो यहां तक नौबत पहुंच गई कि मुसलमानों ने गोया मान लिया कि अब उनके लिए यहां रहना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह तआला ने मुसलमानों को ऐसी क़ौम बनाया है कि मुश्किल हालात में भी उनके लिए जो बस में होता है वह करते हैं, लिहाज़ा अगर कोई यह समझता है कि इस मुल्क में मुसलमानों को कुचल या दबा दिया जाएगा तो यह बात सही नहीं है, बल्कि यह तारीख़ से अनजान होने का नतीजा है।

अल्लाह तआला ने मुसलमानों को ऐसा दीन अता फ़रमाया है जिसमें ज़िन्दगी के मुख़्तलिफ़ मामलों व मसलों का हल मौजूद है। जब मुसलमान इस हल को अख़्तियार करते हैं तो अल्लाह तआला की तरफ़ से हिफ़ाज़त होती है और मुश्किल हालात में भी मुसलमान जी लेते हैं। हमारे मुल्क हिन्दुस्तान में 1947ई0 में जो सूरतेहाल पेश आई उससे यह समझा जा रहा था कि अब वाक़ई मुसलमानों के लिए यहां रहना मुश्किल हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका, बल्कि मुसलमान अब भी इज़्ज़त के साथ हैं।

मौजूदा दौर ग्लोबलाइज़ेशन का दौर है, यानि पूरी दुनिया इस वक़्त इस तरह एक हो चुकी है कि कोई मुल्क आज़ाद नहीं है कि जो चाहे करे, बल्कि हर मुल्क की पॉलिसी हालात के बुनियाद पर बनती है और अगर कोई मुल्क हालात को नज़रअंदाज़ करके पॉलिसी बनाए तो उसे नाकामी होती है। इस तनाज़ुर में अगर हम अपने मुल्क की सूरतेहाल का जाएज़ा लेते हुए उसकी पॉलिसियों पर ग़ौर करें तो उनसे मुल्क को बहुत नुक़सान पहुंचने का ख़तरा है, क्योंकि इस मुल्क में मुसलमान भी हैं और ग़ैर मुस्लिम भी, लिहाज़ा यक़ीनी बात है कि इन पॉलिसियों को नुक़सान दोनों ही को पहुंचेगा, अलबत्ता अगर हुकूमतें हालात को सामने रखकर पॉलिसियां बनाएं और मनमानी न करें तो यक़ीनन इसका नफ़ा पूरे मुल्क को होगा।

मुल्क के हालात यक़ीनन अच्छे नहीं है, मगर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तश्वीश की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यह समझना होगा कि हालात का तक़ाज़ा क्या है, और हुकूमतों की समझदारी और उनकी हिकमते अमली भी देखना पड़ेगी, अगर उन्होंने हिकमते अमली और समझदारी के साथ निज़ाम नहीं चलाया तो इस मुल्क में ख़ुद उनका रहना भी मुश्किल हो जाएगा और यह मुल्क बहुत नुक़सान में चला जाएगा, यहां तक कि इस मुल्क को संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि इस वक़्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम मआशी मसला है, हर जगह इसी के फ़रोग़ की कोशिशें हो रही हैं, हर मुल्क चाहता है कि वह मआशी लिहाज़ से बहुत ऊंचा हो जाए और ख़ूब तरक़्क़ी कर जाए। ज़ाहिर बात है कि सिर्फ़ मआश के मुताल्लिक़ सोचने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए हालात को सामने रखकर ऐसी पॉलिसी बनाना नागुज़ीर है जो मआशी तरक़्क़ी में मुआविन हो। अगर इस लिहाज़ से अपने मुल्की हालात का जाएज़ा लिया जाए तो अंदाज़ा होता है कि इस सिलसिले में हमारी हुकूमत के ज़िम्मेदार अभी ज़्यादा ग़ौर नहीं कर रहे हैं, जो यक़ीनन हर एक के लिए तश्वीश की बात है।

अल्लाह तआला ने मुसलमानों को वसाएल से नवाज़ा है, एक बड़ा वसीला तो अल्लाह की रहमत व मदद का है, जो मुसलमानों को हासिल है और दूसरों को हासिल नहीं है।

दूसरे यह कि मुसलमानों की तारीख़ बहुत सबक़आमोज़ है। जब वह अपनी तारीख़ को देखेंगे तो उनको इत्मिनान होगा कि हमको इस मुल्क में हटाया और मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए कि तारीख़ में कई बार ऐसा हुआ है और मुख़्तलिफ़ मुल्कों में जहां मुसलमान आबाद हैं वहां हालात ख़राब हुए हैं। इराक़ में जब अब्बासी हुकूमत का ज़वाल हुआ और तातारियों को उरूज हासिल हुआ। उस वक़्त की सूरतेहाल से लगता था कि मुसलमान अब बाक़ी नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद हालात

नार्मल हुए और मुसलमानों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ, इससे मालूम होता है कि मुल्क के अन्दर हालात की नज़ाकत मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है।

मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वह हालात की नज़ाकत से ज़्यादा अपने मक़ाम व मर्तबे को पहचानने की कोशिश करें और उसी के मुताबिक़ काम करें। वह अल्लाह को नाराज़ न करें और समझें कि अल्लाह की रज़ामन्दी हर हाल में ज़रूरी है। इसी के साथ वह जिस माहौल में भी हों, उनके लिए ज़रूरी है कि नफ़ाबख़्श बनें और इन्सानी बुनियादों पर परेशानहाल लोगों की मदद करें। अगर मुसलमान मुल्क में इस तरह अपनी फ़ायदामंदी ज़ाहिर करेंगे तो वह यक़ीनन यहां मक़बूल हो जाएंगे।

मुसलमानों के साथ तास्सुब की जहां तक बात है, तो उसके बारे में यह समझ लेना चाहिए कि इस मुल्क के ख़मीर में तास्सुब शामिल है। यहां जो हमारे बिरादराने वतन हैं, उनके दरमियान आपस में ही ख़ूब तास्सुब है, कोई पंडित है तो कोई ठाकुर और कोई कुछ और है, लिहाज़ा मुसलमानों को इस तास्सुब से डरना नहीं चाहिए। इसलिए कि इस मुल्क में मुख़्तलिफ़ क़ौमें और मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, जिनमें से एक मुसलमान भी हैं और इसका तबई नतीजा यह है कि उनसे भी तास्सुब होगा, लेकिन अगर हम अपने दीन के मुताबिक़ अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तो दूसरों से महफ़ूज़ रहेंगे।

मौजूदा हालात के पेशनज़र मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वह मीडिया के मैदान में भी सामने आएं, लेकिन मीडिया भी दो तरह का होता है, एक वह जो मनमाने तरीक़े से काम करता है, यह सबके लिए नुक़सानदेह है, दूसरा मीडिया जो इन्सानी ज़रूरतों को समझकर काम करता है और यह हरएक के लिए फ़ायदेमन्द है, हमें इसी मीडिया को आम करने की ज़रूरत है।

क़ाबिले ज़िक्र और अहमियत की हामिल एक बात यह है कि मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िन्दगी बजाए ख़ुद मीडिया है, मुसलमान रोज़ाना पांच वक़्त की नमाज़ अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं और ग़रीबों की मदद करते हैं, यह सब काम ऐसे हैं जो ख़ुद मीडिया बन जाते हैं, मीडिया सिर्फ़ अल्फ़ाज़ या चन्द वसाएल का नाम नहीं है, बल्कि मीडिया इन्सान का तर्ज़े अमल भी है। जब आदमी किसी को अच्छा करते देखता है तो वह बरजस्ता कहता है कि वाक़ई यह काम बहुत अच्छा है और उसका सच्चे दिल से एतराफ़ करता है। ज़ाहिर है कि यह वह तास्सुर है जो मीडिया भी क़ायम नहीं कर सकता है। मीडिया तो सिर्फ़ अपनी बात लोगों के सामने पेश कर सकता है, चाहे कोई माने या न माने, लेकिन अगर आपका किरदार और कैरेक्टर लोगों के सामने आएगा तो इसका यक़ीनन असर पड़ेगा।

दीने इस्लाम की ख़ासियत यह है कि इसके ज़रिये इन्सान का कैरेक्टर ख़ुद ब ख़ुद सामने आ जाता है, जैसेः रोज़ाना पांच वक़्त मस्जिद से अज़ान होती है, जिसको सुनने वाला हर अजनबी शख़्स यह सोचने पर मजबूर होगा कि यह अज़ान क्यों होती है और मुसलमान इसके अन्दर क्या कहते हैं?

इसी तरह हर नमाज़ में मुसलमानों का मस्जिद के अन्दर बार–बार जमा होना, यह भी ऐसा काम है कि दूसरे लोग इसको देखकर मुतास्सिर होंगे और इसकी हक़ीक़त मालूम करने की कोशिश करेंगे, अब अगर उन्हें नमाज़ के फ़ायदे और उसकी हक़ीक़त पता चल जाए तो यक़ीनन इसका बड़ा असर होगा।

इसी तरह जुमा की नमाज़ है, फिर ईद की नमाज़ें और हज के मौक़े पर मुसलमानों का इज्तिमाअ है। इसके अलावा ज़कात का अमल है, या ग़रीबों की मदद करना है और कुरआन मजीद में जो भी हिदायतें हैं वह सब ऐसी तालीमात हैं जिनसे मुसलमानों का किरदार ख़ुद ब ख़ुद दूसरों के सामने निकल कर आता है और एक मुस्बत पैग़ाम आम होता है। मानो इस तरह हमारी पूरी ज़िन्दगी मीडिया बन सकती है। मालूम हुआ हमारा मज़हब ख़ुद बड़ा मीडिया बना हुआ है और हम उसी पर चल रहे हैं। इस वक़्त दुनिया में जो हमारी वक़्अत नज़र आती है उसका बुनियादी सबब हमारे दीन की यही मुतअद्दी तासीर है, जिसके असरात ग़ैरों पर भी पड़ते हैं।

इसी के साथ यह भी ज़रूरी है कि हम मौजूदा दौर की मुतआरिफ़ मीडिया में भी तरक़्क़ी करें और उन वसाएल को अख़्तियार करें और सबसे अहम बात यह है कि हम अच्छे अख़्लाक़ अख़्तियार करें, जिन्हें देखकर लोग यक़ीनन मुतास्सिर होंगे और अल्लाह से दुआ मांगे, दुआ बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि हालात को बनाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है।

मदद का इस्तहक़ाक़ क्योंकर?

मौलाना जाफ़र मसऊद हसनी नदवी

कुरआन मजीद की इन आयतों को हम बार–बार पढ़ते हैं, उनके माने व मफ़हूम पर ग़ौर करते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं कि किन–किन नेमतों का वादा इन आयतो में हमसे किया गया है? ग़ल्बा और बालादस्ती तय फ़रमा दी है, इज़्ज़त और सरबुलन्दी की बशारत सुनाई है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि हम वह काम करें जिसकी बुनियाद पर हम ख़िलाफ़त और इज़्ज़त के मुस्तहिक़ हो सकते हैं।

अल्लाह तआला का इरशाद है:

"वह लोग कि जिनसे कहने वालों ने कहा कि (मक्के के) लोगों ने तुम्हारे ख़िलाफ़ बड़ी जमीयत इकट्ठा कर रखी है तो उनसे डरो तो उस चीज़ ने उनके ईमान में और इज़ाफ़ा कर दिया और वह बोले हमें तो अल्लाह काफ़ी है और वह बेहतरीन कारसाज़ है, तो वह अल्लाह के ईनआम और फ़ज़्ल के साथ वापस हुए उनका बाल भी बाका नहीं हुआ और वह अल्लाह की मर्ज़ी पर चले और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है, यह तो शैतान है जो तुमको अपने भाई–बन्दों से डराता है तो तुम उनसे ख़ौफ़ मत करो और मुझ ही से डरो अगर तुम ईमान रखते हो।" (आले इमरानः 173–175)

"और अल्लाह हरगिज़ मुसलमानों पर काफ़िरों को कोई राह न देगा।" (सूरह निसाः 141)

"अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उनको ज़रूर ज़मीन में हाकिम बनाएगा जैसा उसने उनके पहलों को हाकिम बनाया और उनके लिए उनके इस दीन को ज़रूर ताक़त अता फ़रमाएगा जिसको उसने उनके लिए पसंद कर लिया है और ज़रूर उनके ख़ौफ़ को इत्मिनान से बदल देगा।" (सूरह नूरः 55)

"और यक़ीनन हमारा लश्कर ही ग़ालिब होने वाला है।" (सूरह साफ़्फ़ातः 173)

"और कमज़ोर मत पड़ो न ग़म खाओ अगर तुम ईमान वाले हो तो सरबुलन्द तुम्ही रहोगे।" (आले इमरानः 139)

"और अहले ईमान की मदद करना तो हम पर एक हक़ था।" (सूरह रोमः 47)

"यक़ीनन अल्लाह ईमान वालों की पुश्तपनाही फ़रमाता है, अल्लाह किसी ख़यानत करने वाले नाशुक्रे को पसंद नहीं फ़रमाता।" (सूरह हजः 38)

यह आयतें जिनकी सच्चाई और हक़्क़ानियत पर हमको मुकम्मल यक़ीन है बशारत देती हैं कि अल्लाह तआला ने अहले ईमान से इज़्ज़त व सरबुलन्दी का वादा किया है, उनकी बालादस्ती को क़ायम फ़रमाया है, अगर हम यह समझें कि इज़्ज़त व सरबुलन्दी कुफ़्फ़ार के लिए है तो इन आयतों का क्या मतलब है? जबकि हमारा यह ईमान है कि अल्लाह का वादा बरहक़ है, उसकी हर–हर बात बिल्कुल सच्ची और साबित शुदा है, उसकी मशीयत को कोई तब्दील नहीं कर सकता, उसके बारे में अदना शक व शुब्हे की गुंजाइश नहीं।

अल्लाह तआला ने इसका वादा उन अहले ईमान से किया है जो सच्चे हैं, इस्लामी तालीमात को अपने सीने से लगाए हैं, अल्लाह की किताब पर अमलपैरा हैं, कहीं हमको ख़तरा यह तो नहीं कि कहीं हम उन लोगों में न हो जाएं जिनका तज़किरा कुरआन मजीद ने इन अल्फ़ाज़ में किया है:

"फिर उनके बाद उनके नाख़लफ़ जानशीन हुए जिन्होंने नमाज़ें ज़ाया कर दीं और वह ख़्वाहिशात के पीछे लग गए तो आगे वह कजी में पड़ जाएंगे।" (सूरह मरियमः 59)

ज़रूरत है कि हम अपना मुहासबा करें, अपने ईमान को जांचें, क्या हम उसका हक़ अदा कर रहे हैं?

क्या हम मुख़्लिस हैं? क्या हम उन एहकामात पर मुकम्मल अमलपैरा हैं, जबकि रसूलुल्लाह (स0अ0व0) की मौजूदगी में ग़ज़वा–ए–हुनैन के मौक़े पर मुसलमानों ने कसरत पर भरोसा किया और यह समझा कि मदद आ चुकी, उस मौक़े की मंज़रकशी कुरआन मजीद ने इन अल्फ़ाज़ से की है!

"और हुनैन के दिन भी जब तुम्हें अपनी कसरत पर नाज़ हुआ तो वह कुछ भी तुम्हारे काम न आई और ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद तुम पर तंग हो गई फिर तुम पीठ फेर कर भागे।" (सूरह तौबाः 25)

जबकि दूसरी तरफ़ ग़ज़वा–ए–बदर में मुसलमानों की तादाद तीन सौ तेरह थी और दुश्मन अस्लहे के साथ एक हज़ार जंगजुओं पर मुश्तमिल थे लेकिन मुसलमान अपने ईमान की वजह से अल्लाह की मदद के मुस्तहिक़ बने।

आज ईमानी एतबार से हम निहायत कमज़ोर हैं, इबादतों में कोताही के शिकार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, शरीअत की मुख़ालिफ़त करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह तआला की मदद के रास्ते हमारे लिए मसदूद हो जाएं।

ज़रूरत है कि हम अपने ईमान को उसी तरह बनाएं जैसे आप (स0अ0व0) के सहाबा ने बनाया, हमारी इबादतें उनकी इबादतों की तरह हों, हमारा तरीक़ा–ए–ज़िन्दगी उनके तरीक़ा–ए–जिन्दगी के मुताबिक़ हो, हम अल्लाह तआला से उम्मीद करें कि यह वादा हमारे लिए ही हो, हमको दुश्मनों पर ग़ल्बा मिले, उनके दिलों में रोब पैदा हो जाए, हमारे हौसले बुलन्द हों और हमको सबात हासिल हो।

उरूज-ए-उम्मत को कैसे हासिल करें?

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (रह०)

क्या हम मुख़्लिस हैं? क्या हम उन एहकामात पर मुकम्मल अमलपैरा हैं, जबकि रसूलुल्लाह (स०अ०व०) की मौजूदगी में ग़ज़वा–ए–हुनैन के मौक़े पर मुसलमानों ने कसरत पर भरोसा किया और यह समझा कि मदद आ चुकी, उस मौक़े की मंज़रकशी कुरआन मजीद ने इन अल्फ़ाज़ से की है!

"और हुनैन के दिन भी जब तुम्हें अपनी कसरत पर नाज़ हुआ तो वह कुछ भी तुम्हारे काम न आई और ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद तुम पर तंग हो गई फिर तुम पीठ फेर कर भागे।" (सूरह तौबाः २५)

जबकि दूसरी तरफ़ ग़ज़वा–ए–बदर में मुसलमानों की तादाद तीन सौ तेरह थी और दुश्मन अस्लहे के साथ एक हज़ार जंगजुओं पर मुश्तमिल थे लेकिन मुसलमान अपने ईमान की वजह से अल्लाह की मदद के मुस्तहिक़ बने।

आज ईमानी एतबार से हम निहायत कमज़ोर हैं, इबादतों में कोताही के शिकार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, शरीअत की मुख़ालिफ़त करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह तआला की मदद के रास्ते हमारे लिए मसदूद हो जाएं।

ज़रूरत है कि हम अपने ईमान को उसी तरह बनाएं जैसे आप (स०अ०व०) के सहाबा ने बनाया, हमारी इबादतें उनकी इबादतों की तरह हों, हमारा तरीक़ा–ए–ज़िन्दगी उनके तरीक़ा–ए–जिन्दगी के मुताबिक़ हो, हम अल्लाह तआला से उम्मीद करें कि यह वादा हमारे लिए ही हो, हमको दुश्मनों पर ग़ल्बा मिले, उनके दिलों में रोब पैदा हो जाए, हमारे हौसले बुलन्द हों और हमको सबात हासिल हो।

तक़्वा क्या है?

सैय्यद बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

जाएज़ा लेने की ज़रुरतः

हमें अपनी ज़िन्दगी का जाएज़ा लेना चाहिए, अपने समाज का जाएज़ा लेना चाहिए और अपने घरों का जाएज़ा लेना चाहिए कि हमारे यहां क्या हो रहा है और कैसी–कैसी बातें पनप रही हैं? अच्छे–अच्छे दीनदारों के यहां बाज़ मर्तबा ऐसी–ऐसी चीज़ें दाख़िल हो जाती हैं जिनका तसव्वुर भी मुश्किल है। एक दीनदार घराने में एक साहब का हाल मालूम हुआ जो अवाम में बड़े मोहतरम समझे जाते हैं कि जब उनकी लड़की बड़ी हुई तो उसको दीन की फ़िक्र हुई, वह एक दिन अपने मोबाइल पर किसी आलिमे दीन की तक़रीर सुन रही थी, जब घरवालों ने उसको तक़रीर सुनते देखा तो बड़े बरहम हुए और कहा कि अभी यह सब दीनी बातें सुनने की तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, अभी तुम फ़िल्में और ड्रामे देखो। यह भी पता चला कि उसने जब स्कार्फ़ बांधना चाहा तो घरवालों ने उतार कर फेंक दिया और उसको तम्बीह की। ज़ाहिर है कि यह इन्तिहाई दर्जे महरूमी और अफ़सोस की बात है। हम सबको अपना जाएज़ा लेते रहना चाहिए, कभी भी आदमी यह सोच कर मुतमईन न हो जाए कि हमारा घर तो बड़ा दीनदार है। अगर आज दीनदार है तो खुदा जाने कल दीनदार रहेगा या नहीं? अगर हमने खुद अपने और अपने घराने की फ़िक्र की और अपने बच्चों का दीनी मिज़ाज बनाने की कोशिश की तो उसका फ़र्क़ ज़रूर पड़ेगा और मुस्तक़िल कोशिश करने और कहते रहने का फ़र्क़ यक़ीनन पड़ता है।

फ़िक्रमन्दी का नतीजाः

एक साहब ने वाक़्या सुनाया कि उनके पड़ोसी नमाज़ नहीं पढ़ते थे, तो वह उनको आते–जाते मुस्तक़िल नमाज़ के लिए टोका करते थे और अजीब लतीफ़ा था कि हर मर्तबा टोकने के बाद डायरी में लिख देते थे कि अब इतनी मर्तबा टोक दिया। वह कहने लगे कि एक मर्तबा गुज़रते हुए जब मैंने अपने पड़ोसी को टोका तो वह उठकर मस्जिद चल दिये, फिर जब उनसे मुलाक़ात हुई तो उन्होंने कहा कि आज मेरे दिल पर एक चोट लगी जिसके बाद मैं फ़ौरन मस्जिद चला आया, तो उन्होंने बताया कि आज मैंने जब तुमको टोका था तो यह सौवीं मर्तबा था। पता चला कि सौ मर्तबा कहने के बाद उन पर कहने का असर पड़ा। कहते हैं कि क़तरा पत्थर पर मुसलसल गिरता है तो उसमें सुराख़ कर देता है।

मायूसी दुरुस्त नहींः

हमें हालात की इस्लाह से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि हालात कैसे ही ख़राब हों, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। अपनी ज़ात पर भी मेहनत करनी चाहिए और उन तमाम लोगों पर भी मेहनत करनी चाहिए जो ख़ास तौर से हमारे मुताल्लिक़ है और हमारे ज़ेरे असर हैं। (और न मरो मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो) का अस्ल मतलब यही है कि हम भी ईमान की हालत में इस दुनिया से जाएं और हमारे घर वाले और हमारे ज़ेरे असर लोग भी ईमान की हालत में इस दुनिया से जाएं। यह हमारी ज़िम्मेदारी है और इसको हम तमाम अहले ईमान को महसूस करना चाहिए लेकिन यह समझना कि हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है और हमारे यहां सबकुछ ठीक रहेगा, यह बड़ी ख़तरनाक बात है।

ईमान की फ़िक्रमन्दी की आला मिसालः

हज़रत याक़ूब (अलैहिस्सलाम) का वाक़्या इस बात की दलील है कि आदमी को अपने या अपने घरवालों के बारे में मुतमईन नहीं होना चाहिए। वह नबी थे, नबी के पोते, नबी के परपोते औन नबी के वालिद थे, मगर इसके बावजूद भी उनको इत्मिनान नहीं हुआ और उन्होंने आख़िर वक़्त में अपने बेटों और

बाद किसकी इबादत करोगे? उनकी औलाद ने जवाब दिया कि अब्बा जान! आपने हमें किस चीज़ की तरबियत दी है?

"हम इबादत करेंगे आपके माबूद की और आपके आबा (पूर्वज) इब्राहीम व इस्माईल और इस्हाक़ के माबूद की, एक (ही) माबूद की और हम तो उसी के फ़रमाबरदार हैं।" (सूरह बक़राः 133)

इस वाक्ये में ग़ौर करने की बात यह है कि घराना नुबूव्वत का और उसके बावजूद भी इत्मिनान नहीं हुआ। इससे यह सबक़ मिलता है कि इस्लाम पर मरना है तो इस्लाम के मुताबिक़ अपनी ज़िन्दगी बनानी है और अपने आप को भी उसके मुताबिक़ ढालना है और उसी के लिए फ़िक्र करना है। जब यह मिज़ाज होगा तो तक़वा आएगा और इस्लाम पर हम ज़िन्दगी गुज़ारेंगे तो हमारा ख़ात्मा भी ईमान पर होगा।

तक़वे के फ़ायदेः

क़ुरआन मजीद के अन्दर ऐसी बहुत सी आयतें हैं जिनमें तक़वे के बहुत से फ़ायदे बयान हुए हैं। एक जगह तक़वे का फ़ायदा बताते हुए इरशाद हैः

"और जो अल्लाह का लिहाज़ रखेगा अल्लाह उसको (मुश्किल से) निकालने का कोई रास्ता अता फ़रमा देगा और उसको बेसान व गुमान रिज़्क़ अता फ़रमाएगा।" (सूरह तलाक़ः 2–3)

क़ुरआन से मालूम हुआ कि तक़वे का एक फ़ायदा यह भी है कि अल्लाह तआला तक़वा अख़्तियार करने वाले को रास्ता अता फ़रमा देता है, उसको तंगी में फ़र्राख़ी अता फ़रमा देता है और ऐसी जगहों से रिज़्क़ पहुंचाता है जहां से सोचा भी नहीं होता। अल्लाह तआला मुत्तक़ी शख़्स के लिए रिज़्क़ के जो दरवाज़े खोलता है, उसमें ज़ाहिरी रिज़्क़ भी है, मानवी रिज़्क़ भी है, इल्म का रिज़्क़ भी है और अल्लाह के क़ुर्ब का रिज़्क़ भी है। इस आयत में यह सारी चीज़ें शामिल हैं, अल्लाह तआला ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ पहुंचाता है कि उसको ख़्याल भी नहीं हो सकता था कि यहां से हमें यह नेमत मिल सकती थी।

एक दूसरी जगह तक़वा का यह फ़ायदा बताया गया हैः

"ऐ ईमान वालों! अल्लाह का लिहाज़ रखो और जची–तुली बात कहो, वह तुम्हारे लिए तुम्हारे कामों को बना देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को बख़्श देगा।" (सूरह अलएहज़ाबः 70–71)

इस आयत में तक़वे के दो फ़ायदे बताए गए हैं; एक तो यह कि अल्लाह तआला तुम्हारे कामों को बना देगा और दूसरे यह कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। वाक़्या यह है कि यह बहुत बड़ी बात है, लोग परेशान होते हैं, तरह–तरह की दुश्वारियां होती हैं तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने यहां एक नुस्ख़ा बयान फ़रमा दिया कि दो चीज़ों को अख़्तियार कर लिया जाए तो अल्लाह दुनिया में भी और आख़िरत में भी हर तरह की सहूलतें अता फ़रमा देगा; एक यह कि तक़वा अख़्तियार किया जाए और दूसरी बात यह कि ज़बान की हिफ़ाज़त की जाए, ज़बान की हिफ़ाज़त के नतीजे में अल्लाह तआला दुनिया में कामों को बना देगा और आख़िरत में गुनाहों को माफ़ कर देगा। आम तौर से अगर देखा जाए तो यह जो लड़ाई–झगड़े होते हैं और इसके नतीजे में बाज़ मर्तबा आदमी बड़ी बर्बादी तक पहुंच जाता है, इसमे बड़ा हिस्सा ज़बान की हिफ़ाज़त न करने का होता है। इसीलिए आयत में ज़बान की हिफ़ाज़त का हुक्म है और उससे पहले तक़वे का हुक्म है, क्योंकि तक़वा अख़्तियार न करना, एहतियात न करना और एहतियात का मिज़ाज न बनाना, यह ऐसी चीज़ है कि इससे आदमी ग़लतियों पर ग़लतियां करता है और दुनिया में भी नुक़सान उठाता है और आख़िरत में भी नुक़सान उठाता है। नतीजा यह होता है कि दुनिया में उसके काम नहीं होते और आख़िरत में उसके गुनाह माफ़ नहीं होंगे।

आज दुनिया में आप जिस शख़्स से भी पूछिए तो वह परेशान नज़र आता है, वह बताता है कि उसका कोई काम नहीं बनता, कारोबार नहीं चलता, दुकान नहीं चलती। अल्लाह तआला ने काम बनाने के लिए हमें एक ऐसा नुस्ख़ा बताया था, अगर हमने उस नुस्ख़े पर अमल किया होता तो सारे काम बन जाते। अगर हमारी ज़िन्दगी तक़वे की होती, ज़बान की एहतियात होती, तो क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला का वादा है कि अल्लाह कामों को भी बना देगा और गुनाहों को भी माफ़ कर देगा।

निकाह के चन्द मसाएल

मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

कुफ़्र व शिर्क के सबब निकाह से मना करना:

कुरआन मजीद में मुश्रिक औरतों से निकाह करने को मना किया गया है:

"और निकाह न करो मुश्रिक औरतों से जब तक वह ईमान न ले आएं और मोमिना बांदी बिलाशुब्हा (आज़ाद) मुश्रिक औरतों से बेहतर है, अगरचे वह तुम्हें अच्छी लगे और (अपनी औरतों का) निकाह मुश्रिकों से उस वक़्त तक न करो जब तक वह ईमान न ले आएं और बिलाशुब्हा मोमिन गुलाम आज़ाद मुश्रिक से बेहतर है गो कि वह तुम्हें अच्छा लगे, यह लोग (मुश्रिक) जहन्नम की तरफ़ बुलाते हैं और अल्लाह तआला अपने हुक्म से जन्नत और मग़्फ़िरत की तरफ़ बुलाता है और लोगों को (अल्लाह) अपने एहकाम खोलकर बयान करता है ताकि लोग नसीहत कुबूल करें।" (सूरह बक़राः 221)

इस आयत में मुश्रिक से निकाह करने से मना किया गया है, इसमें वह तमाम लोग दाख़िल हैं जो बुत, सूरज, चांद या ग़ैरुल्लाह में से किसी चीज़ के भी पुजारी हों, लिहाज़ा इस हुक्म में अहले किताब के अलावा तमाम मज़ाहिब वाले दाख़िल हैं और उन अहले मज़ाहिब में से किसी भी लड़की से निकाह करना जाएज़ नहीं है, ख़्वाह वह हिन्दु हो या बुद्धिस्ट, जैनी या सिख वग़ैरह हो, सभी इस हुक्म में शामिल हैं। (शामीः 2/313–314, हिन्दियाः 1/281)

अहले किताब औरतों से निकाहः

अहले किताब औरतों से मुराद ईसाई या यहूदी औरतें हैं जो मज़हबी तौर पर ईसाई या यहूदी हों, इसलिए कि अहले किताब के लफ़्ज़ी माने किताब वाले के हैं और किताब वालों से मुराद वह हैं जिनका किसी ऐसी आसमानी किताब पर ईमान हो जिसका आसमानी किताब होना नस से साबित हो, इस एतबार से सिर्फ़ यहूदी और ईसाई औरतें अहले किताब हैं और शरअन उनसे निकाह करना हैयत के साथ जाएज़ है। बेहतर यही है कि उनसे निकाह करने से एहतराज़ करे। (शामीः 2/313–314, हिन्दियाः 1/281)

जहां तक उनसे निकाह की इजाज़त का ताल्लुक़ है तो सराहत के साथ कुरआन मजीद में इसकी इजाज़त दी गई है:

"और तुम्हारे लिए हलाल की गईं वह पाक दामन औरतें जो उन क़ौमों में से हों जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी।" (सूरह माइदाः 5)

और पाकदामनी की क़ैद बतौर शर्त के नहीं है बल्कि बतौर इस्तहबाब के है, बल्कि बेहतर यही है कि उनसे निकाह करने से गुरेज़ किया जाए ख़्वाह पाकदामन ही क्यों न हों। (अलबहरुर्राएक़ः 3/103)

और कराहत की वजह यह है कि उनसे निकाह किया जाए तो औलाद उनके अक़ाएद से मुतास्सिर होने का ख़तरा रहेगा, इसीलिए हज़रत उमर (रज़ि0) के ज़माने में बाज़ गवर्नरों ने अहले किताब से निकाह किया तो हज़रत उमर (रज़ि0) ने सख़्त नागवाही ज़ाहिर की। (एहकामुल कुरआनः 2/324)

और एक रिवायत में यह भी है कि हज़रत उमर (रज़ि0) ने फ़रमाया कि अहले किताब औरतों की तरफ़ मुसलमानों का मैलान मुस्लिम औरतों के लिए फ़ित्ने का बाइस हो सकता है। (किताबुल आसार लिल इमाम मुहम्मदः 156)

ज़िन्दीक़ औरत से निकाहः

जो औरत मुल्हिद हो या मुसलमान होने का दावा करती हो, लेकिन मन्सूस शरई एहकाम की मुनकिर हो, उससे निकाह करना जाएज़ नहीं है। (शामीः 2/314, हिन्दियाः 1/281)

गुमराह फ़िरक़ों से निकाहः

जिन फ़िरक़ों के अक़ीदे कुफ़्र तक पहुंचते हों, जैसेः महदूविया, नसीरी, बोहरा, आग़ाख़ानी और वह शिया जो कुरआन में तहरीफ़ के क़ायल हों या हज़रत अबूबक्र (रज़ि0) व उमर (रज़ि0) की सहाबियत के मुनकिर हों या हज़रत आयशा (रज़ि0) पर तोहमत लगाते हों, उनकी औरतों से निकाह करना नाजायज़ है। इस तफ़्सील से मालूम हुआ कि क़ादियानियों से निकाह क़तअन जाएज़ नहीं है, इसलिए कि उनके कुफ़्र पर पूरी उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है।(शामीः 2/314)

और जिनके अक़ाएद कुफ़्र तक न पहुंचे हों, अगरचे उनमें ग़ुलू और तश्द्दुद हो तो उनसे निकाह किया जा सकता है।

जब ग़ैर मुस्लिम इस्लाम ले आएंः

अगर ग़ैरमुस्लिम मियां–बीवी इस्लाम कुबूल कर लें तो अगर उन्होंने अपने अक़ाएद और रस्मों के मुताबिक़ शादी की हो तो इस्लाम कुबूल करने के बाद नए सिरे से निकाह करने की ज़रूरत नहीं है, ख़्वाह उनकी शादी शरीअत के उसूलों के मुताबिक़ न हुई हो, मसलनः उन्होंने शादी गवाह के बग़ैर कर ली हो, या औरत किसी और ग़ैरमुस्लिम की इद्दत में ही थी और इद्दत के दौरान ही उसने शादी कर ली, तब भी इस्लाम कुबूल करने के बाद उनका निकाह मोतबर क़रार दिया जाएगा और फिर से निकाह करना नहीं पड़ेगा। (अलबहरुर्राएक़ः 3/360, हिन्दियाः 1/337)

जब ग़ैर मुस्लिम ने महरम से शादी कर रखी हो फिर इस्लाम कुबूल करेः

अगर किसी ग़ैरमुस्लिम ने हालते कुफ़्र में अपनी महरम औरतों में से किसी से शादी कर रखी हो जैसेः पारसी मां–बहन से भी शादी को जाएज़ समझते हैं और साउथ के कुछ हिन्दु भांजी से शादी को जाएज़ समझते हैं फिर अल्लाह उनको इस्लाम की हिदायत दे दे तो उनके दरमियान अलाहिदगी करा दी जाएगी और उनके निकाह को बाक़ी नहीं रखा जाएगा। इससे उनके दरमियान इसके जाएज़ होने के अक़ीदे का लिहाज़ नहीं रखा जाएगा। (अलबहरुर्राएक़ः 3/362, फ़तावा तातारख़ानियाः 4/261)

जब ग़ैरमुस्लिम ज़ौजेन में से कोई एक इस्लाम कुबूल करेः

अगर मियां–बीवी दारुल इस्लाम में रहते हों और दोनों में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो मामला दारुल कज़ा में पेश किया जाएगा, अगर दूसरा फ़रीक़ भी इस्लाम कुबूल कर लेता है तो दोनों का निकाह बाक़ी रहेगा और अगर वह निकाह कुबूल करने से इनकार कर दे तो इनकार के सबब क़ाज़ी उनके दरमियान तफ़रीक़ करा देगा।

और अगर वह दोनों दारुल हरब या ऐसे मुल्क में रहते हों जहां इस्लाम कुबूल करने वाले के लिए दूसरे फ़रीक़ को दारुलक़ज़ा लाना मुश्किल हो जैसेः हिन्दुस्तान, अमरीका और यूरोपियन मोमालिक, तो एक के इस्लाम कुबूल करने के बाद औरत के तीन हैज़ आने तक और हैज़ न आता हो तो तीन महीने तक और अगर हामिला हो तो वज़अ हमल तक, अगर दूसरा फ़रीक़ इस्लाम कुबूल कर ले तो उनका निकाह बरक़रार रहेगा और इस मुद्दत तक दूसरा फ़रीक़ इस्लाम न कुबूल कर ले तो उनका निकाह ख़ुद ब ख़ुद ख़त्म हो जाएगा और तीन हैज़ या तीन महीने के लिए यह इन्तिज़ार बतौर इद्दत के लिए नहीं है, लिहाज़ा यह इन्तिज़ार मदख़ूल बहा को भी करना होगा और ग़ैर मदख़ूल बहा को भी करना होगा। (शामीः 2/421–424, हिन्दियाः 1/338)

और अगर इस्लाम शौहर ने कुबूल किया और उसकी बीवी किताबिया यानि यहूदी या ईसाई थी तो उनका निकाह बाक़ी रहेगा। (हिन्दियाः 1/338)

अगर ग़ैर मुस्लिम मुल्क में इस तरह की तफ़रीक़ की नौबत आए तो दूसरी शादी से पहले क़ानूनी कार्यवाही ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि कोई पेचीदगी पैदा न हो।

जब कोई एक मुरतद्द हो जाएः

अगर मियां–बीवी में से कोई एक मुरतद हो जाए तो उनका निकाह क़ज़ा में जाए बग़ैर फ़ौरन फ़स्ख़ हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ग़ैरमुस्लिम मुल्क में हो तो क़ानूनी कार्यवाही ज़रूर कर लेनी चाहिए ताकि कोई दिक़्क़त पेश न आए। (शामीः 2/425)

ग़ैबी निज़ाम और इन्सानी तदबीरें

अब्दुस्सुब्हान नाख़ुदा नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

"वही है जो तुमको ख़ुश्की और समन्दर में लिये फिराता है यहां तक कि जब तुम कश्तियों में होते हो और कश्तियों उनको लेकर ख़ुशगवार हवाओं में चलने लगती हैं और वह उसमें मगन हो जाते हैं तो (अचानक) तेज़ आंधी उन पर आ जाती है और हर जगह से मौजें उन पर उठने लगती हैं और उनको यक़ीन हो जाता है कि वह इसमें घिर चुके तो उस वक़्त वह पूरी बन्दगी को अल्लाह के लिए ख़ालिस करते हुए उसी को पुकारते हैं कि अगर तूने हमें इससे नजात दी तो हम मुकम्मल तेरे शुक्रगुज़ार बन्दों में हो जाएंगे फिर जब वह उनको नजात देता है तो देखते ही देखते ज़मीन में नाहक़ फ़साद मचाने लगते हैं। ऐ लोगो! तुम्हारी सरकशी का वबाल तुम्हीं पर टूट पड़ेगा, दुनिया की ज़िन्दगी का कुछ फ़ायदा उठा लो, फिर हमारे ही पास तुम्हें पलट कर आना है, तब हम तुम्हें वह सबकुछ बताकर रहेंगे जो काम तुम किया करते थे।" (सूरह यूनुसः 22)

इस आयत में भी गुज़िश्ता आयतों की तरह ज़ाहिर और हक़ीक़त के फ़र्क़ को समझने की दावत दी गई है और ज़ाहिर के ज़रिये हक़ीक़त तक पहुंचने का दर्स दिया गया है। ज़ाहिर में इन्सान को एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल करने वाली सवारियां होती हैं जो समन्दर में कश्तियों और ख़ुश्की में मोटरों या पुराने ज़माने में ऊंटों की सूरत में पायी जाती थीं। इसी तरह फ़िज़ा में हवाई जहाज़ होते हैं लेकिन कुरआन यह बता रहा है कि हक़ीक़त में ख़तरात से महफ़ूज़ रखकर मंज़िले मक़सूद तक पहुंचाने वाली ज़ात तन्हा अल्लाह तआला की है। हज़ार दफ़े का तर्जुबा है कि सैंकड़ो हिफ़ाज़ती इन्तिज़ामात के बावजूद कश्तियां डूब जाती हैं। कभी कश्ती टूट–फूट का शिकार हो गई, कभी तूफ़ानी हवाओं ने उनको पलट दिया, कभी बिफरी हुई मौजों ने जहाज़ उलट दिये, कभी कोई और वाक़्या पेश आ गया। ज़ाहिर में इन्सान इसे इत्तेफ़ाक़–हादसा क़रार देकर अपनेआप को मुतमईन करने की कोशिश करता है लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कश्ती साबित व सालिम है, हवा मोतदिल है, मौजें पुरसुकून हैं, हर चीज़ अपनी मोतदिल कैफ़ियत में है लेकिन फिर भी यही कश्ती डूब जाती है। मौजूदा दौर में इसे तकनीकी ख़ामी क़रार देकर इत्मिनान कर लिया जाता है लेकिन माद्दापरस्त यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि कोई ज़ात ऐसी भी है जो हंगामी हालात में कश्ती को साहिल तक पहुंचा सकती है और पुरसुकून हालत में ऐन निगाहों के सामने कश्ती को डुबो भी सकती है। यह हक़ीक़त आम तौर से उस वक़्त लोगों के सामने खुलकर आ जाती है जब अचानक सख़्त तूफ़ान आ जाए, कश्ती डांवाडोल होने लगे, बिफ़री हुई मौजें किसी भी वक़्त कश्ती को उलट दें, तमाम सहारे छूट जाएं तो उस वक़्त अन्दर से ख़ुद ब ख़ुद यह सदा आती है कि एक सहारा ऐसा ज़रूर है कि जो इस हालत में भी नैया पार लगा सकता है। इस अंदरूनी इज़्तरारी कैफ़ियत का नाम हक़ीक़त में ईमान बिल ग़ैब है। अख़्तियारी ज़िन्दगी में भी सच्चे दिल से इस ताक़त को तस्लीम करने का नाम अल्लाह पर ईमान है। ज़ाहिर परस्त इज़्तरारी की हद तक ईमान रखते हैं लेकिन जैसे ही इज़्तरार से निकलकर अख़्तियार में आ जाते हैं तो उनका ईमान रुख़्सत हो जाता है। और वही पुरानी फ़रसूदा जोड़–तोड़ वाली ज़हनियत औद कर आती हैं कि हुस्ने इत्तेफ़ाक़ से हम बच गए। इसके मुक़ाबले में एक ख़ुदा परस्त अख़्तियार और इज़्तिरार दोनों सूरतों में एक अब्दी लाफ़ानी ताक़त का ऐतक़ाद रखता है और उसी से अपना नफ़ा व नुक़सान वाबस्ता करता है।

يُسَيِّرُكُمْ فِي के ज़रिये यह बताया गया है कि ज़मीन के दूर–दराज़ गोशों तक सफ़र करना, समन्दर का सीना चीर कर बहुत अन्दर तक चले जाना यह सब अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसने तुम्हें यह काबिलियत और सलीक़ा

बख़्शा और बहरोबर का सफ़र तुम्हारे लिए आसान किया।

حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ यहां तक कि जब तुम कश्ती में होते हो حَتَّىٰٓ ग़ायत और इन्तहा को बताता है।

कश्ती में सफ़र होना समन्दर की इन्तिहा और ग़ायत नहीं है, सफ़रे समन्दर की ग़ायत वह हालात हैं जो आगे बयान किये गये हैं, क्योंकि वह हालात कश्ती पर सवार होने के बाद शुरू होते हैं।

وَجَرَيْنَ بِهِم अभी तक ख़िताब का सेग़ा चल रहा था, अब ग़ायत का सेग़ा इस्तेमाल होने लगा, इसे इल्मी इस्तेलाह में इल्तिफ़ात कहते हैं। चूंकि सफ़र शुरू होने से पहले तक बाहम राब्ता रहता है, इसलिए यहां ख़िताब का सेग़ा मुनासिब था। मगर जैसे ही कश्तियां उनको लेकर दूर चली गईं तो बाहम राब्ता मुनक़तेअ हो गया। अब उनके लिए ग़ायब का सेग़ा मुनासिब है। गोया अब वह लोग तुम न रहे वह हो गए और चूंकि सफर भी निहायत ख़ुशगवार है इसलिए मुसाफ़िर भी अपने रुख़्सत करने वालों को भूलकर ख़ुशगवार सफ़र का लुत्फ़ लेने लगे, इस लिहाज़ से भी ग़ायब का सेग़ा मुनासिब था। इसी तरह यहां दरे पर्दा माद्दा परस्तों का भी तज़किरा है कि जब तक कोई सामने है तब तक उनका मामला तुम का है और जैसे ही ज़ाहिरन दूरी पैदा हुई तो सब वह हो गए और कोई तुम न रहा।

وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ जब तूफानी हवांए चलती हैं तो समन्दर में तुग़यानी आती है और हर तरफ़ मौजें उठती दिखाई देती हैं लगता है जैसे पूरा समन्दर बिफर उठा हो।

جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ पर क़ायम होने वाले सवाल का जवाब है यानि कोई सवाल करे कि तेज़ व तुन्द हवाएं चलती हैं तो वह क्या करते हैं तो इसका जवाब यह है कि वह उस वक़्त ख़ालिस अल्लाह की बन्दगी में मुन्हमिक होकर उसको पुकारते हैं। دَعَوُا۟ ٱللَّهَ यह

مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ यह ताबीर कुरआन करीम में मुतअद्दिद बार आयी है। यहां दीन का मतलब बन्दगी है। चूंकि दीन का एक मतलब झुकने और इताअत करने का है, बन्दगी में इन्साना अल्लाह के सामने झुकता है और इताअत बजा लाता है। इसलिए यहां अद्दीन का मतलब बन्दगी ही है। बन्दगी को अल्लाह के सामने ख़ास करने का मतलब दिल व जान से अल्लाह की तरफ़ यकसू होना है। इस वक़्त ज़ाहिर परस्तों को किसी भी माबूद की याद नहीं आती।

لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ कमोबेश हर नाज़ुक मौक़े पर जब जान पर बन आए तो हर इन्सान की यह कैफ़ियत होती है और वह अल्लाह से अहद करता है कि अगर वह इस मुसीबत से निकल गया तो फिर हमेशा अल्लाह का एहसानमंद रहेगा और कभी अपने अहद से नहीं फिरेगा।

यह मुबारक आयत ग़ैबी निज़ाम को वाज़ेह करती है और यह बताती है कि कभी–कभी हज़ार इन्सानी तदबीरों के बावजूद ऐन निगाहों के सामने सारी तदबीरें और सब हिफ़ाज़ती इन्तिज़ामात धरे के धरे रह जाते हैं और सिवाए ग़ैबी निज़ाम पर भरोसा करने के कुछ और बाक़ी नहीं रहता। यह आयत और इस से अगली पिछली आयतें ज़ाहिर परस्ती की काट करती हैं और ज़ाहिर में इन्सान के सामने बार–बार अस्ल हक़ीक़त को खोलती हैं कि यह पूरी कायनात एक ख़ुदा की ताक़त का करिश्मा है और सबकुछ बग़ैर किसी इस्तसना के उसी के हाथ में है। उसी की दावत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (स0अ0व0) मक्के मुकर्रमा में दे रहे थे, जिसे जादू, कहानत और शायरी कहकर झुठलाया जा रहा था, हालांकि यह हक़ीक़त में रूए ज़मीन की सबसे बड़ी सच्चाई, दानाई और हिकमत की बात थी। इसी हक़ीक़त को बताने के लिए सूरह युनूस के शुरू में इस किताब का तारुफ़ किताबे हकीम से किया गया। ''यह हिकमत से लबरेज़ किताब की आयात है'' जो हक़ीक़त से पर्दा उठाए उससे बड़ी कोई दानाई नहीं और जो हक़ीक़त को छिपाए उससे बड़ी नादानी कोई नहीं। मुश्रिकीन की पूरी कोशिश यही थी कि हक़ीक़त सामने न आए और लोग महज़ गुमानों पर ज़िन्दगी के दिन पूरे कर लें।

مِنْ هَٰذِهِۦ इससे मुराद वह आफ़त है जो तूफ़ानी हवाओं की शक्ल में मुसल्लत है।

لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ यह ताबीर और बलीग़ है यानि हम तेरे शुक्रगुज़ार बन्दे की सफ़ में अपनेआप को शामिल करेंगे।

इस आयत से यह मालूम होता है कि समन्दर का सफ़र करना जाएज़ है। हदीस में समन्दर के सफ़र से जो मना किया गया है वह शरई हुक्म के तौर पर नहीं बल्कि शफ़क़तन मना किया गया है। चूंकि इसमें ख़तरात ज़्यादा होते हैं इसलिए शदीद ज़रूरत के बग़ैर समन्दर का सफ़र न किया जाए

15 अगस्त 1947ई0 को हिन्दुस्तान ने बिट्रिश राज से आज़ादी हासिल की। इसकी वजह आज़ादी के आंदोलन के बाद बिट्रिश पार्ल्यामेंट में "भारतीय स्वतन्त्रता ऐक्ट 1947" का पास होना था, इस एक्ट के पास होने पर बिट्रिश इण्डिया को बिट्रिश कामनवेल्थ (उन देशों का समूह जो बिट्रिश सरकार के अधीन थे) के मसौदे के एतबार से तक़सीम किया गया। इस एतबार से हिन्दुस्तान "संवैधानिक राजशाही" (जहां राजशाही और पार्ल्यामेंट के बीच अधिकारों का बंटवारा होता है) बन गया जिसका "जार्ज छअवां" रियासत का सरबराह और "अर्ल माउंट बैटन" गवर्नर जनरल हुआ। देश में अपना संविधान न होने की वजह से बिट्रिश सरकार का क़ायम किया हुआ और कुछ बदला हुआ "गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया एक्ट 1935ई0" लागू रहा।

29 अगस्त 1947ई0 को "मजलिस मसौदा साज़" की तक़रुरी के लिए एक क़रारदाद पेश की गई और मुस्तिक़ल आईन (संविधान) को तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई, जिसमें चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर हुए। आईन का मसौदा तैयार करके 4 नवम्बर 1947 दस्तूर साज़ (संविधान निर्माण) असेम्बली को पेश हुआ। तीन साल की बहस व तहक़ीक़ और तरमीम व इज़ाफ़े के बाद 26 नवम्बर 1950ई0 को 284 मेम्बरों की दस्तख़त पर यह मसौदा अपनाया गया था, इसीलिए यह दिन यौम–ए–क़ौमी क़ानून के तौर पर मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को दस्तूरसाज़ एसेम्बली का आख़िरीर इजलास हुआ जिसमें कुल 308 मेम्बरों की दस्तख़त से हाथ का लिखा हुआ एक अंग्रेज़ी और एक हिन्दी ज़बान में मसौदा पेश हुआ जिसको 26 जनवरी 1950 को नाफ़िज़ किया और उस दिन को यौम–ए–जम्हूरिया (गणतन्त्र दिवस) के रूप में मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने हिन्दुस्तान के सद की हैसियत से अपनी पहली मीयाद का आग़ाज़ किया। यह "आईन साज़ एसेम्बली" नए आईन के कुछ उबूरी दफ़ात के तहत हिन्दुस्तानी पार्ल्यामेंट बन गया।

आईन–ए–हिन्दुस्तान (भारतीय संविधान) को तैयार करने का पसमन्ज़र दो सौ साल की इस्तेमारी हुकूमत (उपनिवेशवादी राज) बैरूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ क़ौमी तहरीके आज़ादी और साथ–साथ मुल्क की तक़सीम का सदमा है। इस एतबार से लोगों की उमंगे, मुल्क की सालिमियत और जम्हूरी मुआशरे की तश्कील मेअमारे आईन (संविधान निर्माता) की पहली फ़िक्र थी। एसेम्बली के मेम्बरों की फ़िक्रमन्दी का हल "मक़ासिद क़रारदाद" (आब्जेक्टिव्ज़ रिज़ॉल्यूशन) की सूरत में पेश हुआ। यह क़रारदार जवाहर लाल नेहरू ने 17 दिसम्बर 1946ई0 को आईन साज़ असेम्बली में पेश की जिसको 22 जनवरी 1947ई0 को अपनाया गया। यह क़रारदाद आईनसाज़ एसेम्बली की रूह की अक्कासी है, इन आला उसूलों में मुक़्तदिर, ग़ैरमज़हबी, जम्हूरी, मुन्सिफ़, आज़ाद, मसावात, इख़्वत और अज़मत शामिल है।

आईन की तश्कील पर इस मक़ासिदे क़रारदाद को "आईन की तम्हीद" (संविधान की प्रस्तावना) की हैसियत हासिल हुई, इसका नाम बदल कर "तम्हीदे आईने हिन्दुस्तान" (भारतीय संविधान की प्रस्तावना) रखा गया। यह आईन का हिस्सा नहीं बल्कि उनवान और मुक़द्दमा है जो यह बयान करता है कि आईन का मक़सद और ज़रूरत क्या है? इसकी अहमियत को समझते हुए 1976ई0 को तम्हीदे आईने हिन्दुस्तान में तरमीम हुई थी, तरमीम शुदा तम्हीद के अल्फ़ाज़ का तर्जुमा यह है:

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी , पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डताख्3, सुनिश्चित कराने वाली, बन्धुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधानसभा में आज तारीख २६ नवम्बर १९४९ ई० को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

संप्रभुता– इस शब्द का आशय है कि, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

समाजवादी– समाजवादी शब्द का आशय यह है कि 'ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूँजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो।

पंथनिरपेक्ष– 'पंथनिरपेक्ष राज्य' शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि, संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करने चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) जोड़े गए। भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएँ विद्यमान हैं अर्थात् हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है।

लोकतांत्रिक– संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद् रूप से किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। व्यस्क मताधिकार, समाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राजव्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं।

गणतंत्र– प्रस्तावना में 'गणराज्य' शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं 'वंशागत लोकतंत्र' तथा 'लोकतंत्रीय गणतंत्र' में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है।

स्वतंत्रता– यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिये अवसर प्रदान करता है।

न्याय– न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे तीन भिन्न रूपों में देखा जा सकता है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव–मानव के बीच जाति, वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत ना हो जाए। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का अधिकार।

समता– भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती हैं जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध।

बंधुत्व – इसका शाब्दिक अर्थ है– भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।

भारतीय संविधान की यह तमाम तारीफ़ें और ख़ासियत एक ओर और बहुसंख्यक की सरकार जिसके बिना पर बहुसंख्यक की रज़ामंदी और उस रज़ामंदी पर क़ानूनों की तब्दीली की संभावना, उन तमाम बुनियादों को हिलाकर रख देता है जिस पर भारतीय संविधान का आधार है! गणतन्त्र दिवस की शुभकामनाएं।

सैय्यद कुतुबुद्दीन अहमद मदनी ने दाई-ए-अजल को लब्बैक कहा

सैय्यद ज़ाहिर हुसैनी नदवी

दाएरा शाह अलमुल्लाह तकिया कलां, रायबरेली में कुछ ऐसी गुमनाम और ग़ैर मशहूर हस्तियां भी हैं जो अपने दीनी मिज़ाज, ईमानी हमीयत, गुरबा परवरी और सादगी व सिलारहमी में बहुत ऊंचा मक़ाम रखती हैं लेकिन ख़ामोश तबियत, उज़्लत पसंदी और महफ़िलों से दूर रहने की वजह से उनके मक़ाम व मर्तबे का अंदाज़ा नहीं हो पाता। उन्हीं मोतबर व ग़ैर मशहूर अफ़राद में एक अहम नाम जनाब सैय्यद कुतुबुद्दीन अहमद मदनी का भी था जिन्होंने 26 दिसम्बर 2023ई0 को आरिज़ा क़ल्ब (हार्ट अटैक) के बाद वफ़ात पाई।

कुतुबुद्दीन मदनी साहब का नस्ली रिश्ता मुजाहिदे कबीर सैय्यद कुतुबुद्दीन हसनी मदनी (रह0) से था जो जिहाद की ग़रज़ से हिन्दुस्तान तशरीफ़ लाए थे और कड़ा मानिकपुर में सुकूनत अख़्तियार की थी। उन्हीं की निस्बत से बाद के अहले ख़ानदान ने मदनी का लाहिक़ा अख़्तियार किया।

कुतुबुद्दीन मदनी साहब का घराना फ़तेहपूर (हंसवा) में आबाद एक मारूफ़ इल्मी व दीनी घराना था, वालिद माजिद सईद अहमद मदनी साहब अपने इलाक़े के मारूफ़ वकील थे और दीनी व मज़हबी शनाख़्त के बाअसर लोगों में थे। कुतुबुद्दीन साहब की विलादत 19/जून 1954ई0 को फ़तेहपुर में ही हुई। घर के इल्मी व दीनी माहौल में तालीम व तरबियत का आग़ाज़ हुआ और जल्द ही अपनी दीनदारी व इल्मी सलाहियतों की वजह से सबके मन्ज़ूरे नज़र हो गए। 1969ई0 में मुस्लिम इन्टर कॉलेज – फ़तेहपुर से हाई स्कूल पास किया और फिर उसी कॉलिज से 1971ई0 में इन्टरमीडिएट मुकम्मल किया। इसके बाद आपने मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी (हैदराबाद) में दाख़िला लिया और ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की।

तालीम से फ़राग़त के बाद आपने प्राईवेट कम्पनी में मुलाज़िमत अख़्तियार की और इस सिलसिले में दम्माम और बहरैन में लम्बे अर्से तक मुक़ीम रहे।

1985ई0 में आप रिश्ता–ए–इज़्दिवाज से मुन्सलिक हुए। मुफ़क्किर–ए–इस्लाम हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी (रह0) की अहिल्या मोहतरमा की सगी भतीजी की बेटी से आपका निकाह हुआ, जिसके बाद आपने अपने ख़ानदानी वतन तकिया कलां में मुस्तक़िल सुकूनत अख़्तियार कर ली।

आख़ीर सालों में आपने बैरून की मुलाज़िमत तर्क कर दी और जमशेदपुर में अपने बड़े भाई सैय्यद शमीम अहमद मदनी के अल–कबीर पॉलीटेक्निक से वाबस्ता हो गए और वहीं से रिटायरमेंट हासिल की।

दौराने मुलाज़िमत आप अपनी अमानतदारी, वक़्त की पाबन्दी और रुफ़्क़ा की ख़ैरख़्वाही में बहुत मुमताज़ थे, कम्पनी का पूरा अमला आपको इज़्ज़त व वक़ार की नज़र से देखता और अपने बहुत से मसाएल के हल के लिए आप ही से रुजूअ करता, आप एक बेहतरीन मुशीर और एक दूरअंदेश व तर्जुबेकार मुख़्लिस की हैसियत से उनकी रहनुमाई करते।

रिटायरमेंट के बाद आप अपने वतन तकिया कलां ही में मुक़ीम रहे और अपने तर्जुबात व मुशाहिदात से अहले ताल्लुक़ की रहनुमाई करते रहे। उम्मत के वसाएल व हालात पर आप बहुत मुज़तरब होते, बदलते हालात की संगीनी पर बात करते और अहले ताल्लुक़ को दीन की पाबन्दी की नसीहत करते, कोई काम ख़िलाफ़े शरअ देखते तो नर्मी व हिकमत से मुतवज्जह करते, चूंकि किसी से उलझने का मिज़ाज नहीं था इसलिए ख़ामोशी से अपने काम से काम रखते और ख़ाली वक़्त मुताले में गुज़ारते।

अल्लाह तआला ने आपको नेक व सालेह औलाद की नेमत से भी नवाज़ा। एक बेटा सैय्यद अमान मदनी है जो तालीमी फ़राग़त के बाद लखनऊ अपोलो हास्पिटल से मुन्सलिक है और दो बेटियां हैं जिनमें बड़ी बेटी का निकाह मौलाना सैय्यद ज़ाहिर हुसैनी नदवी (उस्ताज़–मदरसा ज़ियाउल उलूम) और छोटी बेटी का निकाह कुंडा प्रतापगढ़ में सैयद यहया से हुआ।

वफ़ात से कुछ दिन पहले अपने भाइयों से मुलाक़ात की ग़रज़ से जमशेदपुर जाना हुआ था, वहीं फ़ज्र के वक़्त हार्ट अटैक हुआ, फ़ौरन हास्पिटल मुन्तक़िल किया गया लेकिन फ़ैसला–ए–इलाही से इफ़ाक़ा न हो सका और आपने दाई–ए–अजल को लब्बैक कहा।

जनाज़ा तकिया कलां लाया गया जहां हज़रत मौलाना सैय्यद बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी ने नमाज़ पढ़ाई और यहीं तदफ़ीन हुई। इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

गुलू और इन्तिहा पंसदी

मुहम्मद अमीन हसनी नदवी

इस्लाम से ज़्यादा किसी भी मज़हब ने इन्तिहा पंसदी, गुलू, (हद से आगे बढ़ जाना) इफ़रात व तफ़रीत के बारे में इतने सख़्त एहकामात नहीं दिये। इस्लाम ने इसके बारे में सख़्त तरीन हिदायतें दीं और इसको नापसंद किया और साफ़ तौर पर यह ऐलान कर दिया किः "दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं" दूसरी तरफ़ "दीन बहुत आसान है" कहकर बात साफ़ कर दी।

कुरआन मजीद में अहले किताब (यहूद व नसारा) के बारे में यह बात दिया कि वह अपने दीन में बग़ैर सच्चाई के गुलू करते हैं और रहबानियत अख़्तियार करते हैं या रहबानियत पसंद कर ली और दुनिया और दुनिया की लज़्ज़तों को छोड़ना पसंद कर लिया था जिस पर अल्लाह तआला का इरशाद हैः

"आप कह दीजिए कि ऐ अहले किताब अपने दीन में नाहक़ गुलू मत करो।" (सूरह माइदाः 77)

अल्लाह के रसूल (स0अ0व0) ने इरशाद फ़रमायाः

"दीन में गुलू से बचो तुमसे पहले जो हलाक हुए वह दीन में गुलू की वजह से हलाक हुए।" (मुसनद अहमद)

इमाम इब्ने तैमिया फ़रमाते हैंः

"दीन के मामले में गुलू करने से मोहतात रहो।"

यह आम है और हर तरह का गुलू इसमें शामिल है, चाहे वह एतक़ादी हो या अमली और गुलू का मतलब हद से तजावुज़ करना है। ईसाई एतक़ादी और अमली तौर पर गुलू में सबसे आगे थे।

आप (स0अ0व0) ने गुलू और इन्तिहापसंदी करने वालों के लिए नुक़सानदेह अंजाम और दीन व दुनिया में ख़सारे का ज़िक्र किया है, इरशाद हैः "गुलू करने वाले हलाक हो गए।"

आप (स0अ0व0) ने यह जुम्ला तीन बार कहा।

इमाम नववी (रह0) फ़रमाते हैंः इसका मतलब है कि अपनी बात और अपने काम में हद से आगे बढ़ने वाले।

इसीलिए इस्लाम ने वुसअत की दावत दी है। इरशाद हैः "हमने तुमको एक दरमियानी उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह हों।" (सूरह बक़राः 143)

इस्लाम ने इबादात, मामलात, आदात, खाने–पीने, पहनने, यहां तक कि हर चीज़ में वुसअत को पसंद किया है और उसी का हुक्म दिया हैः "पूछिए कि किसने अल्लाह के (दिये हुए) ज़ीनत (के सामान) हराम किये जो उसने अपने बन्दों के लिए पैदा किये हैं और साफ़–सुथरी खाने की चीज़ें, कह दीजिए कि वह दुनियावी जिन्दगी में ईमान वालों के लिए हैं, क़यामत के दिन तो सिर्फ़ उन्हीं के लिए हैं, हम लोगों के लिए इसी तरह खोल कर बयान करते हैं जो इल्म वाले हैं।" (सूरह आराफ़ः 32)

दूसरी जगह फ़रमायाः "और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दे रखा है उसके ज़रिये आख़िरत वाला घर बनाने की कोशिश करो और दुनिया में से भी अपने हिस्से को नज़रअंदाज़ न करो और जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है तुम भी (दूसरों पर) एहसान करो और ज़मीन में फ़साद मचाने की कोशिश न करो यक़ीन जानो अल्लाह ने फ़साद मचाने वालों को पसंद नहीं करता। और जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई की तुम भी (दूसरों के साथ) भलाई करो और ज़मीन में बिगाड़ मत चाहो।"

भारतीय लोकतन्त्र के बुनियादी स्तंभ–एक विश्लेषण

मुहम्मद अरमुग़ान बदायूंनी नदवी

आबादी के लिहाज़ से भारत दुनिया का सबसे बड़ा संसदीय पंथनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक देश कहा जाता है और उसका संविधान दुनिया के सभी लोकतान्त्रिक उसूलों का निचोड़ समझा जाता है, जिस पर लोकतन्त्र की सुदृढ़ व शानदार इमारत निर्मित है। बुनियादी तौर पर भारतीय लोकतन्त्र के चार स्तंभ हैं जिन पर यह पूरी इमारत खड़ी हुई है:

1– विधायिका 2– कार्यपालिका

3– न्यायपालिका 4– मीडिया

विधायिका: साधारण शब्दों में विधायिका या व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो कानून निर्माण का कार्य करता है। इसे आमतौर पर संसद के नाम से जाना जाता है। संसद शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द 'पार्लर' जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत करना या बोलना तथा लेटिन शब्द 'parliamentum' से हुई है। संसद को अंग्रेजी में 'पार्ल्यामेंट' कहा जाता है। लेटिन शब्द ' पार्ल्यामेंटम' का प्रयोग भी बातचीत के लिए ही होता रहा है। इस प्रकार संसद शब्द का प्रयोग व्यक्तियों की उस संस्था के लिए प्रयोग किया जाता है जो चर्चा या विचार–विमर्श के लिए एकत्रित हुए हों। आज सरकार के कार्यों के सन्दर्भ में संसद को व्यवस्थापिका या विधायिका का नाम दिया जाता है, जिसका सम्बन्ध कानून निर्माण से है।

विधायिका के कार्य व्यवस्थापिका के कार्य व भूमिका अलग–अलग देशों में अलग–अलग हैं। व्यवस्थापिका के कार्यों का निष्पादन शासन प्रणाली की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिन देशों में निरंकुश राजतन्त्र होता है, वहां यह पूर्ण रूप से राज्य के नियन्त्रण में रहकर एक सलाहकार समिति के रूप में कार्य करती है। संसदीय सरकार में विधायिका की स्थिति बहुत मजबूत रहती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका के कार्य संविधान द्वारा मर्यादित होते हैं।

कार्यपालिका: संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिये अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, जो उसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संविधान सम्मत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों में विधानसभा के सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान के पात्र होते हैं।

न्यायपालिका: साधारण अर्थ में कानूनों की व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका सरकार का एक विशिष्ट अंग है जिसको कानूनों का पालन कराने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। न्यायपालिका कानून में अंतर्निहित अर्थ को समझाने का कार्य भी करती है।

मीडिया : चौथा स्तंभ (पत्रकारिता) पत्रकारिता जिसे मीडिया भी कहा जाता है को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में दर्जा मिला है। मीडिया जो कि लिखित, मौखिक या दृश्य किसी भी रूप में हो सकती है जनता को जानकारी देती है कि किस जगह कानूनों का उल्लंघन हो रहा है तथा तीनों स्तम्भ अपनी जिम्मेवारी तथा निष्ठा से कार्य कर रहे हैं या नही। इस जानकारी के पश्चात निर्णय लेने की पूरी

शक्ति जनता के विवेक पर निर्भर करती है। मीडिया जो कि जनता तथा शासन दोनों के बीच एक माध्यम का काम करता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। अब यह चौथा स्तंभ भी पूरी निष्ठा व जिम्मेवारी से काम करे इसकी जिम्मेवारी जनता की बनती है कि जनता अपने विवेक से मीडिया द्वारा दी गई जानकारी का सही प्रयोग करे। यहीं से लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र का घेरा लोगों द्वारा बनाई गई विधायिका से चलकर, कार्यपालिका, न्यायपालिका व मीडिया से होते हुए पुनः लोगों के पास ही आ जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र इन चार स्तंभो पर टिका है इन चारों स्तंभो की मजबूती मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करती है। मीडिया राष्ट्रीय संसाधन है। जिसे पत्रकार बंधु जन विश्वास या ट्रस्ट में प्रयोग करते हैं मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। संसद और मीडिया एक दूसरे के सहयोगी हैं। दोनों ही संस्थान जनभावनाओं को अभिव्यक्ति देते हैं।

देखा जाए तो लोकतन्त्र के यह चार ऐसे आधारभूत स्तंभ हैं जो इसको मज़बूत करते हैं और देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति में सहयोगी बनते हैं लेकिन यदि इन स्तंभों या इनमें से किसी एक के अन्दर कमज़ोरी पैदा होती है तो लोकतन्त्र की जड़ें हिल जाती हैं, जबकि एक बड़े लोकतान्त्रिक देश में तो यह चारों ही अपनी अंतिम सांसे ले रहे हों।

पिछले कुछ सालों से कार्यपालिका का हाल यह है कि जिसको देखकर देश के शहरी सुकून महसूस करते और उन्हें सुरक्षा व शांति का यक़ीन होता, उनको देखकर बेचैनी और बदसुकूनी में बढ़ोत्तरी हो जाती है। यहां के प्रशासन का यह हाल है कि वह ताक़तवर ज़ालिमों के सबूत ख़ुद से मिटाती है, दस्तावेज़ छिपाती है और मुजरिम को ठिकाना देकर बेक़सूर को फ़ांसी के तख़्ते पर चढ़ाती है और कभी कभी किसी एक वर्ग को निशाना बनाकर उसकी ज़िन्दगी ख़राब कर देती है। इससे बढ़कर दुख की बात यह है कि यह सब उनके इशारों पर होता है जिन्हें लोकतन्त्र का रक्षक समझा जाता है।

देश की न्यायपालिका किस दर्जे जर्जर हो चुकी है इसकी हक़ीक़त को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज का वह बयान ही काफ़ी है जिसमें उसने खुलेआम यह स्वीकार किया है कि इस समय देश की न्यायपालिका पर ख़तरों के काले बादल मंडरा रहे हैं, यही कारण है कि देशव्यापी स्तर पर जो बड़े फ़ैसले न्यायपालिका की ओर से किये जा रहे हैं, उसमें बहुसंख्यकों की भावनाओं का भरपूर ध्यान रखा जाता है और अल्पसंख्यकों की भावनाओं को न सिर्फ़ यह कि नज़रअंदाज़ किया जाता है बल्कि कुचल दिया जाता है। पिछले दस बरस में कई बड़े महत्वपूर्ण फ़ैसले इस बात का खुला सुबूत हैं।

मीडिया की स्थिति भी किसी से छिपी हुई नहीं है। वह मीडिया जो वास्तव में जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता था, अब केवल एक वर्ग विशेष तथा विचार विशेष का प्रवक्ता या रक्षक बनकर रह गया है। उसे बस तस्वीर का एह ही पहलू दिखाने की आदत पड़ गई है। बात यह है कि इस समय पूरे देश में नफ़रत की जो आग लगी है, उसका बड़ा ज़िम्मेदार यही मीडिया है जो अपने आक़ाओं को ख़ुश करने में और उनकी नाकामियों पर पर्दा डालने की ग़रज़ से पूरे देश को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है और अफ़सोस की बात यह है कि यह सब तमाशा लोकतन्त्र के झंडे तले हो रहा है।

हर साल गणतन्त्र दिवस जो भारतीय संविधान के लागू होने का दिन है, वास्तव में पूरे देश को यह संदेश देता है कि हर नागरिक अपने आस–पास के हालात का जाएज़ा ले और यह समझने की कोशिश कर कि उसका देश किस हद तक लोकतन्त्र की वास्तविक बुनियादों पर क़ायम और बाक़ी है। ख़तरा यह है कि अगर लोकतन्त्र की इन बुनियादों में इसी प्रकार गिरावट होती रही तो पूरा देश एक बार फिर गुलामी के गहरे गढ़े में न ढकेल दिया जाए।

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल नदवी, दारे अरफ़ात की दो वेबसाइटें

www.abulhasanalinadwi.org

यह वेबसाइट मुफ़क्किरे इस्लाम हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी (रह०) और ख़ानवादा–ए–हसनी के इल्मी व फ़िक्री मीरास का मख़ज़न है।

इस वेबसाइट में हज़रत मौलाना की फ़िक्री, इल्मी व अदबी तमाम कुतुब व रसाएल की पीडीएफ़ मौजूद है और हज़रत मौलाना (रह०) की हयात व ख़िदमात पर जो काम हुआ है उसको यकजा कर दिया गया है।

इस वेबसाइट में हज़रत मौलाना (रह०) की वफ़ात पर जितने भी अरबी–उर्दू मजल्लात शाया हुए हैं उनको भी जमा कर दिया गया है।

इस वेबसाइट में हज़रत मौलाना (रह०) की तमाम असनाद और उनके एवार्ड की तफ़सीलात भी मौजूद हैं।

इस वेबसाइट में हज़रत मौलाना (रह०) के मुख़्तलिफ़ इक़्तिबासात भी फ़िक्रे अबुल हसन को फ़रोग़ देने के लिए नश्र किये जाते हैं।

इस वेबसाइट पर हज़रत मौलाना (रह०) की बेशक़ीमत आडियो बयानात भी महफ़ूज़ हैं।

इस वेबसाइट में ख़ानवादा–ए–हसनी के दीगर मुसन्निफ़ीन की अरबी और उर्दू किताबों का अहाता भी किया गया है।

इस वेबसाइट में रमज़ानुल मुबारक का स्पेशल सेक्शन मौजूद है जिसमें वह दर्स नश्र होते हैं जो दाएरा शाह अलमुल्लाह की मस्जिद में होते हैं।

इस वेबसाइट में विज़िटर्स की दिलचस्पी का एक आप्शन यह भी है कि आप अपने तमाम दीनी व फ़िक़्ही मसाएल यहां मालूम कर सकते हैं, इसके लिए आस्क अस का आप्शन बतौर ख़ास दिया गया है।

इस वेबसाइट पर हर माह मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल नदवी का तरजुमान माहनामा पयामे अरफ़ात उर्दू व हिन्दी भी नश्र होता है।

इस वेबसाइट में मर्कज़ुल इमाम के रुफ़क़ा और तदरीबे इफ़्ता के बाहिसीन की जुम्ला तफ़सीलात भी मौजूद हैं।

www.arafatbooks.com

इस वेबसाइट में मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल नदवी में दारेअरफ़ात के शोबा नश्र व इशाअत सैय्यद अहमद शहीद एकेडमी की तमाम मतबूआत दस्तयाब हैं।

इस वेबसाइट में अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी और हिन्दी ज़बान की तक़रीबन डेढ़ सौ किताबें मौजूद हैं।

इस वेबसाइट में बहैसियत मुसन्निफ़ीन तमाम कुतुब महफ़ूज़ हैं, ताहम उलूम व फ़ुनून के हिसाब से भी किताबों को रखा गया है मसलन: उलूमे कुरआन, उलूमे हदीस, उलूमे फ़िक़्ह, उलूमे तारीख़, सीरत व सवानेह, फ़िक्रे इस्लामी और इस्लाहियात।

इस वेबसाइट में ज़बानों के लिहाज़ से भी तमाम किताबों की शरह का आप्शन मौजूद है।

इस वेबसाइट की सबसे बड़ी ख़ूबी यह है कि इसमें सैय्यद अहमद शहीद एकेडमी की तमाम मतबूआत मुख़्तसर तआरुफ़ के साथ पीडीएफ़ फ़ाइल की शक्ल में मौजूद हैं।

इस वेबसाइट में असहाबे ज़ौक़ को वरक़ी किताब ख़रीदने की सहूलियत भी दी गई है।

इस वेबसाइट में आर्डर के बाद रिर्टन और रिफ़ण्ड पॉलिसी का आप्शन भी दिया गया है।

किताब आर्डर करने के बाद ख़रीददार को उसकी लाग इन आईडी पर किताब का स्टेटस भी दिखाया जाता है।

अगर किसी ख़रीददार को किताब के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल करना हो तो इसके लिए इदारे की ईमेल आईडी और फ़ोन नम्बर भी वेबसाइट पर मौजूद है।

R.N.I. No.
UPHIN/2009/30527

Monthly
ARAFAT KIRAN
Raebareli

Issue: 1 | January 2024 | Volume: 16

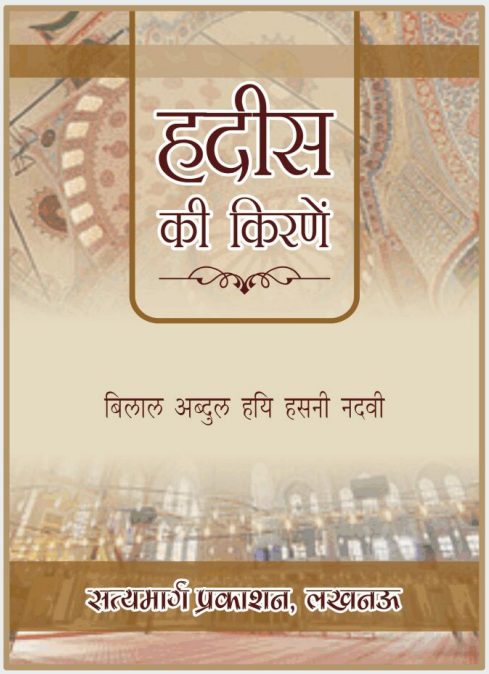

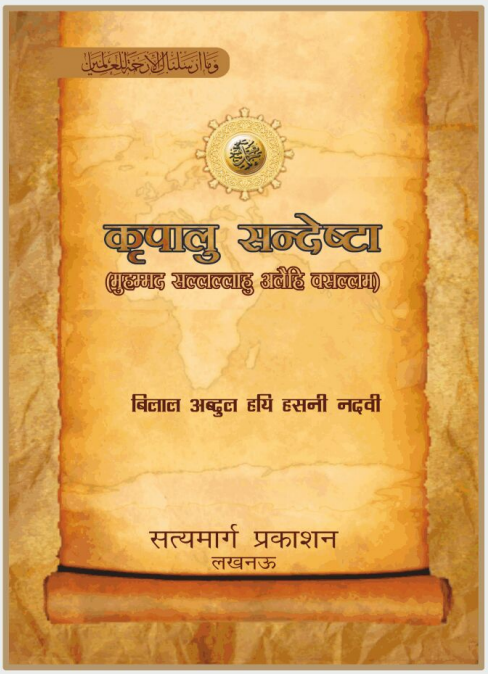

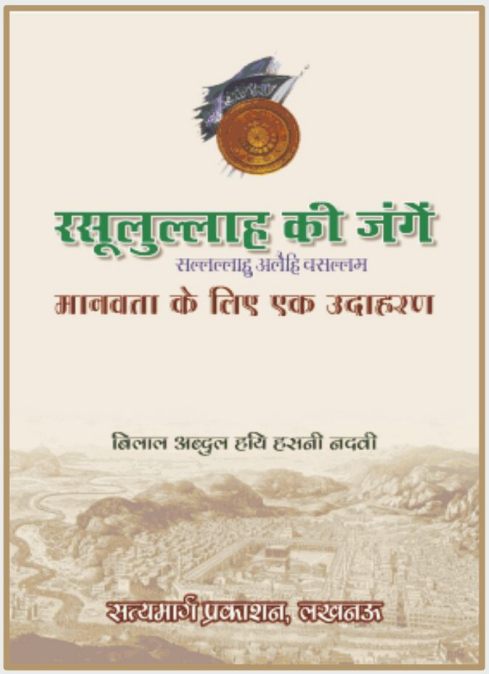

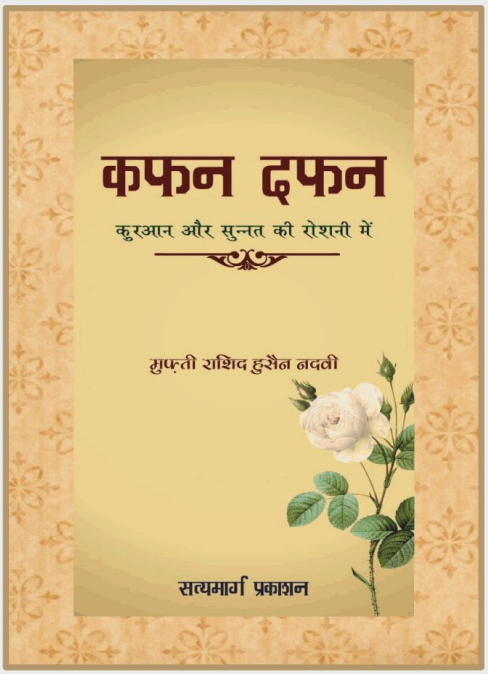

Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi
MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI
Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli, U.P.
Mobile:9565271812
E-Mail: markazulimam@gmail.com
www.abulhasanalinadwi.org

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi
On Behalf of: Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi
Printed at S.A. Offset Printers, Masjid ke peeche,Phatak Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli, U.P.